

**आदेश द्वारा कमलिका मोहंता (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन**

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/मा.चि./2021/ 36

उज्जैन, दिनांक...07/09/2021

प्रकरण अन्तर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /एफ-3/102/2021/10-11/16/2548 दिनांक 29-07-2021 एवं 2568 दिनांक 29-07-2021 से दिये गये निर्देशानुसार वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./2021/2406 दिनांक 12-08-2021 से जिला खण्डवा एवं जिला देवास के अन्तर्गत आई.एस.पी. कालीसिंघ लिंक प्रोजेक्ट फेस-2 के निर्माण हेतु 147.09 हे. (वनमण्डल खण्डवा की 46.989 हे. एवं वनमण्डल देवास की 100.101 हे.) वनभूमि कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20 मण्डलेश्वर को उपयोग पर देने के प्रकरण में जिला कलेक्टर शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-19(3)/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 02-07-2021 से 151.220 हे. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित गैर वनभूमि में वृक्षारोपण कार्य के 11 वर्षीय प्रस्ताव तैयार कर निम्नानुसार प्रेषित किये हैं।

क्रं.	परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा (हे. मे)	योजना की राशि (लाख मे)
1	शाजापुर	मोहन बड़ोदिया	मांगलिया	72, 72, 40/3, 182, 220, 285/4, 736/4, 239	44.76	313.07

म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशियल पॉवर 2012 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 14-बी में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर को कैम्पा मद अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित गैर वनभूमि में वृक्षारोपण हेतु उपरोक्त क्षेत्र में तालिका में दर्शित प्रस्तावित राशि की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरों निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानों के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
- 2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
- 3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी. /3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक-एफ-03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।
- 4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।
- 5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्डार नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' में सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई-मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रु. 1.00 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावे।
- 6) फेसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंड्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

- 7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्डलाधिकारी/उपवनमण्डलाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्डलाधिकारी, 50% उपवनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।
- 8) वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।
- 9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जबाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- 10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।
- 11) वनमण्डलाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नहीं कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नहीं है तो उस स्थल पर कार्य नहीं कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।
- 12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजा जावे।
- 13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।
- 14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।
- 15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13-11-2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी में चस्पा किया जावे।
- 16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यों की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।
- 17) किये गये कार्यों की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई-ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal में समय-समय पर की जावे।
- 18) वनमण्डलाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगें।
- 19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।
- 20) स्वीकृत राशि से अधिक व्यय न किया जावे। वास्तविक व्यय अथवा स्वीकृत राशि, जो भी कम हो, को मान्य किया जावेगा।
- 21) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
- 22) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
- 23) भारत सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा कोविड-19 की महामारी के संबन्ध में समय-समय पर जारी निर्देशों तथा Social Distancing एवं अन्य सावधानियों का पूर्ण पालन, कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान सुनिश्चित करें।
- 24) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होने के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रूप से तकनीकी स्वीकृती दी जाएगी।

(कमलिका मोहंता)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2021/ 5907

उज्जैन, दिनांक. 07/09/2021

- 1) महालेखाकार, (ऑडिट) ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर की ओर उनके पत्र क्रमांक/माचि/2021/2406 दिनांक 12-08-2021 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

(कमलिका मोहता)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

परियोजना का नाम :- आई.एस.पी. कालिसिंध फेस ।। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन)

क्षेत्रफल :- मांगलिया वैकल्पिक वृक्षारोपण (कुल 44.76 हे. कार्ययोग्य 44 हे.)

वनमण्डल का नाम :- शाजापुर वनमण्डल

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- आई.एस.पी. क लिसिंध फेस ।। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) से प्रभावित 14.09 हैक्टेयर वन भूमि के बदले 151.200 हैक्टेयर (कुल 151.200 हे. कार्ययोग्य 148 हे.) गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण
2. मांगलिया वैकल्पिक वृक्षारोपण (कुल 44.70 हे. कार्ययोग्य 44 हे.)
3. जिला :- शाजापुर
4. वनमण्डल :- शाजापुर
5. परिक्षेत्र :- शाजापुर
6. तहसील :- मोहन बड़ोदिया
7. ग्राम पंचायत :- मांगलिया
8. बीट का नाम :- मो.बड़ोदिया..
9. खसरा क्रमांक :- 72, 73, 40/3, 182, 220, 285/4, 736/4, 239
10. ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति का नाम :- ग्राम वन समिति मांगलिया
11. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :- -
12. मिट्टी का प्रकार :- मुरमी
13. साईट क्वालिटी :- -

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 41000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
बांस	5000	1.5 से 2 वर्ष	45 से.मी.	3 से 5 से.मी.
चिरोल	15000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
नीम	15000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
आंवला	2000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
अन्य	7000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
योग--	44000			

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर 45 से.मी. गहरे तथा 45 से.मी. चौड़े तथा 3 मीटर लम्बाई में कंटूर ट्रेंच बनाये जायेंगे। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थलों पर कंटूर बण्ड का निर्माण किया जायेगा। क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर से नाला बंधान का कार्य किया जायेगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा त्रैनलिक फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।
5. पुर्नउत्पादन सफाई :- क्षेत्र में किये गये टूट ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा। क्षेत्र में बिरलन कार्य वार्ययोजना में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. बीज बुआई :- क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच से निकली मिट्टी एवं खुदाई के गद्दों के आसपास जहां संभव होगा उपयुक्त प्रजाति के बीजों की बुआई की जावेगी।

7. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम बार में लेण्टाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत छठवे वर्ष तक प्रति वर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। सातवें वर्ष में 2 बार तथा आठवें वर्ष में 1 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।
8. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
9. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईता को प्राप्त कर लेंगे।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र शाजापुर


उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल शाजापुर


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

मण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल शाजापुर

म०प्र० शासन

वन विभाग

वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना

परियोजना का नाम	आई.एस.पी. कालिसिंध फेस ॥ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) से प्रभावित 147.09 हैक्टेयर वन भूमि के बदले 151.200 हैक्टेयर (कुल 151.200 हे. कार्ययोग्य 148 हे.) गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण
क्षेत्रफल	— (कुल 44.76 हे. कार्ययोग्य 44 हे.)
कार्य योग्य	— (कुल 44.76 हे. कार्ययोग्य 44 हे.)
स्थल	— ग्राम मांगलिया खसरा 72, 73, 40/3, 182, 220, 285/4, 736/4, 239
तहसील	— मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर
परिसर	— मो.बड़ोदिया
समिति	— ग्राम वन समिति मांगलिया
वन परिक्षेत्र	— शाजापुर
तहसील	— मो.बड़ोदिया
उप वनमण्डल	— शाजापुर
वनमण्डल	— शाजापुर (सा०)
विधान सभा क्षेत्र	— शाजापुर
जिला	— शाजापुर म०प्र०
परियोजना अवधि	— 2022-2023 से 2033-2034

वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना

खसरा नंबर 72, 73, 40/3, 182, 220, 285/4, 736/4, 239 ग्राम मांगलिया
तह. मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर

भाग-1

1- परियोजना का विवरण

(अ) परियोजना का नाम : आई.एस.पी. कालिसिंध फेस II सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) से प्रभावित 147.09 हैक्टेयर वन भूमि के बदले 151.200 हैक्टेयर (कुल 151.200 हे. कार्ययोग्य 148 हे.) गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण

(ब) भारत सरकार का प्रस्ताव : क्रमांक FP/MP/IRRIG/139995/2021

(स) प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण : 147.09 हे०

1. प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल : खसरा नंबर 72, 73, 40/3, 182, 220, 285/4, 736/4, 239, ग्राम मांगलिया, तह. मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर

2. जिला : शाजापुर

3. वनमण्डल : शाजापुर (सा0)

4. परिक्षेत्र : शाजापुर

5. तहसील : मो.बड़ोदिया

6. विकासखण्ड : मो.बड़ोदिया

7. विधानसभा क्षेत्र : शाजापुर

8. ग्राम पंचायत : मांगलिया

9. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त : शाजापुर

10. क्षेत्रीय परिसर बीट : मो.बड़ोदिया

2- स्थल विशेष जानकारी

1. वन समिति : ग्राम वन समिति, मांगलिया

2. वनखण्ड एवं कक्ष क्रमांक : -

3. कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हे०) : -

4. कार्यवृत्त : -

5. उपचार श्रेणी/पातन श्रेणी : -

6. उपचार ईकाई/कूप क्रमांक : -

7. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी : 30 कि०मी०

8. कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी : निरंक

वर्ष	योजना	क्षेत्रफल	वर्तमान स्थिति
1	निरंक	-	-

9. प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण :

ए. योजना : निरंक

बी. वर्ष : निरंक

सी. क्षेत्रफल : निरंक

प्रजाति
रोपण असफलता का कारण

प्रजाति - निरंक, पौधे संख्या - निरंक
पूर्व में कोई रोपण कार्य नहीं किया गया है।

- क. वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण
10. गठित समिति का प्रकार
11. समिति का मुख्यालय
12. समिति में सम्मिलित गांव
13. समिति के अध्यक्ष का नाम
14. परिसर रक्षक / वनरक्षक का नाम
15. परिक्षेत्र सहायक का नाम
16. समिति के सदस्यों की जानकारी -

निरंक
ग्राम वन समिति मांगलिया
मांगलिया

श्री संजय चौहान, वनरक्षक
श्री अशोक सिंह बघेल, वनपाल

महिला :-

पुरुष :-

कुल :-

3- उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)

ए. टोपोग्राफी

बी. एस्पेक्ट

सी. ढलान

(अ) पानी निकासी

(ब) भू-क्षरण

डी. भौमिकीय

शील(चट्टानें)

ई. मिट्टी का प्रकार

एफ. औसत वर्षा

जी. नरम मिट्टी का क्षेत्र

एच. कड़ी मिट्टी का क्षेत्र

आई. पथरीलि मिट्टी

से डिग्री

4- वन क्षेत्र का विवरण :-

ए. वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण

वृक्षों की जानकारी -

प्रजाति	20 से 0मी० तक की सीधी एवं स्थापित पौधे	21 से 0मी० से अधिक के वृक्ष
सागौन	0	0
अन्य	0	0
योग	0	0

बी. साईट क्वालिटी घनत्व

सी. पूर्ण वन वर्धन (Root stock Development)

दूठ एवं गोलाई की गणना

प्रजाति	गोलाई वर्ग						
	20 से. मी. तक आडी- टेडी पौध	21 से 30 से०मी०	31 से 45 से०मी०	46 से 60 से०मी०	61 से 90 से०मी०	91 से 120 से०मी०	120 से०मी० से उपर
सागौन	0	0	0	0	0	0	0
मिश्रित	0	0	0	0	0	0	0
योग	0	0	0	0	0	0	0

शिक वन वर्धन का क्षेत्र	:	हे०
शिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:	44 हे०
खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना)	:	30 हे०
जी. पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:	44 हे०
एच. चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र.	:	निरंक
आई. विकृत बास का क्षेत्र	:	निरंक
जे. क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला	:	निरंक
के. प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य)	:	निरंक
एल. जैविक दबाव :-		

	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्यप्राणी	-	औसत	-
चराई	-	औसत	-
मानव	-	औसत	-

5- 1. योजना का उद्देश्य	:	प्रत्यावर्तित वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण कर वनक्षेत्र को वनाच्छादित करना तथा मजदूरों को राजगार उपलब्ध कराना।
2. क्षेत्रफल	:	44 हे०
3. क्षेत्र की बाहरी सीमा की लम्बाई	:	8200 र.मी.
4. प्रस्तावित फेंसिंग	:	8200 र.मी.
6- उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण		
कट बैंक का क्षेत्रफल	:	00.0 हे०
वृक्षारोपण का क्षेत्र	:	44 हे०
भू-संरक्षण का क्षेत्र	:	25 प्रतिशत
लेन्टाना	:	30 हेक्टेयर
7- रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किये जावेंगे	:	
8- रोपणी से रोपण स्थल की दूरी	:	120 कि०मी०
ए. ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	:	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा
बी. सिरबोझ द्वारा	:	सिरबोझ द्वारा
9- सिंचाई का विवरण		
ए. जल स्रोत	:	नहीं
बी. वृक्षारोपण से दूरी	:	
सी. सिंचाई प्रकार	:	टेंकर एवं मजदूरों द्वारा
डी. बिजली उपलब्धता	:	है
10- प्रति हेक्टर पौधों की संख्या :-		
ए. प्रति हेक्टर सी०बी०ओ० से प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या	:	-
बी. क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (20 से०मी० से अधिक)	:	00
सी. क्षेत्र में सीधी एवं स्थापित पौधे (20 से०मी० गोलाई से कम)	:	00
डी. रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या	:	44000

अंशतः 1000 पौधे प्रति हेक्टर) कुल
योजना की अवधि

44000

2022-23 से 2023-2034 तक

12- (1) योजना पर होने वाला
संभावित व्यय


31307108 / -


(विस्तृत प्राकलन एवं उपचार मानचित्र
पृथक से संलग्न है)


(2) प्रति हेक्टर व्यय

711525 / -

13- अन्य विवरण


उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल शाजापुर (सा.)


वन परिक्षेत्राधिकारी
शाजापुर (सा.)


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर


R.A. Shajapur

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल खसरा नंबर 72, 73, 40/3, 182, 220, 285/4, 736/4, 239 ग्राम मांगलिया तहसील मो.बड़ोदिय जिला शाजापुर के क्षेत्र 44 हैक्टेयर (कुल 44.76 हे. कार्य योग्य 44 हे.) का मेरे द्वारा दिनांक 15-7-21 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

वन परिक्षेत्राधिकारी
शाजापुर (सा.)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल खसरा नंबर 72, 73, 40/3, 182, 220, 285/4, 736/4, 239 ग्राम मांगलिया तहसील मो.बड़ोदिय जिला शाजापुर के क्षेत्र 44 हैक्टेयर (कुल 44.76 हे. कार्य योग्य 44 हे.) का मेरे द्वारा दिनांक 25/02/21 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

उप वनमंडलाधिकारी
उप वन मंडल शाजापुर (सा.)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल खसरा नंबर 72, 73, 40/3, 182, 220, 285/4, 736/4, 239 ग्राम मांगलिया तहसील मो.बड़ोदिय जिला शाजापुर के क्षेत्र 44 हैक्टेयर (कुल 44.76 हे. कार्य योग्य 44 हे.) का मेरे द्वारा दिनांक 14.7.21 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक : 14.7.21

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 36 दिनांक 07/09/2021 द्वारा जारी की गई।

मुख्य वन संरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

पुष्करोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल- 44.76 हे. कार्ययोग्य 44 हे.)

(अतिरिक्त)

कार्य का विवरण

ग्राम : उहसील : गांव/विधा : राजवा 44
 जिला : मोरवा/विधा : राजपुर

हेक्टर/घर कुल क्षेत्र 44
 76 हे. कार्ययोग्य 44 हे.
 गा.वि. दर 362

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
 संख्या 1000 पीछे प्रति हेक्टर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि)		कुल मात्रा/विवरण	रकित	स्थिति
	मात्रा	इकाई	मात्रा/विवरण	इकाई			
1. प्लाट सीमांकन हेतु	44.76	हा	0.45	80	20	7291+	जीवदर
2. नगरों का निर्माण	70	दुपचा	16	दुपचा	1120	405440	गणना के अन्तर्गत
3. ट्राइटमेंट टाइम का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्टर	44	हा	1.00	-	44	15928	अनुमानित
4. क्षेत्र सफाई (हेक्टर)	44	हा	4.00	प्रति हेक्टर	176	63712	जीवदर
5. लैंडिंग/उत्प्लान कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	30	हा	12.50	प्रति हेक्टर	375	135750	जीवदर
6. पुष्करोपण की 44.76 हे. की परिधि 8200 रनिंग मीटर, पुष्करोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के फेल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली लार की 03 लाइनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रिट से भर जायेगा। विवरण संलग्न है।	8200	Rmt	2	Rmt	16400	5936800	गणना के अन्तर्गत
8. गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	44000	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	110	39820	जीवदर
7. रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या 60x60x60 cm.	44000	गड्ढे	10	प्रति संख्या	4400	1592800	जीवदर
8. गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कच आयातन का 50 प्रतिशत	4752	घटनी0	1.5	घटनी0	7128	2580336	बाजार दर
9. मोबर खाद डालने हेतु कच आयातन का 25 प्रतिशत	2376	घटनी0	3	घटनी0	7128	2580336	बाजार दर
10. उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	44000	गड्ढे	1.5	प्रति संख्या	660	238920	जीवदर
11. 2 इट निर्माण		L.S.			240	86880	अनुमानित
12. अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					200	72400	अनुमानित
13. मू-जल संरक्षण कार्य							
बोल्डर चेक डैम निर्माण	1000	44 हेक्टर		1 मा.दि.	1000	362000	अनुमानित
अर्देन चेक डैम निर्माण	200	44 हेक्टर		0.6 मा.दि.	120	43440	अनुमानित
कट्टर ट्रेंच विन्हाकन	4000	44 हेक्टर		0.15 मा.दि.	600	217200	अनुमानित
कट्टर ट्रेंच निर्माण 30.00X0.45 मीटर	4000	44 हेक्टर		0.33 मा.दि.	1320	477840	अनुमानित
		कुल क्षेत्र			41041	14856893	

उपवनमंडलाधिकारी
 ,राजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
 वन मंडल राजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
 ,राजापुर (सा.)

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

तैयारी हेतु आई.एस.पी. कालिसिंघ फेस II सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) कुल क्षेत्रफल 44.76 हैक्टेयर कार्ययोग्य 44 हैक्टेयर गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण

क्षेत्रफल 44 ha. घेराव 44.76 ha.
क्षेत्र तैयारी प्रथम वर्ष 2022-23 फेंसिंग कार्य मा.दि. 362 रु.

वन संरक्षक जॉब दरें	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा (हे. / कि.ग्रा. / र. मी. / घ.मी. में)	जाबदर मानव दिवस में	दर प्रति (हे./कि.ग्रा. / र.मी./घ.मी. में/रुपय में)	राशि	
4	एल.यु.एन प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र फेंसिंग कार्य	8200 r.m			0	
एल.यु.एन	1- आर.सी.सी. पोल्स क्रय ऊचाई 1.8 मीटर 2.5 मीटर स्पेस (3280+10 प्रतिशत स्पोटिंग पोल्स+10 प्रतिशत टूटफूट = 3936 पोल्स)	3936 No	0	0	285 रु. प्र मी	1121760
एल.यु.एन.	2- बारबेड वायर क्रय 8200 X 2 = 16400 mm/6 = 2733 kg (6 m = 1k.g.)	2733 kg	0	0	85 रु प्र किग्रा	232333
एल.यु.एन.	3-चेनलिक जाली क्रय (8200 मी. X 1.50 = 12300 वर्ग मीटर)	12300 sqm	0	0	150 रु प्र व.मी	1845000
2014	4- फेंसिंग हेतु गड़डा एलाईजमेंट कार्य संख्या में	3936 No	2.5	मा दि प्र हजार	905 रु प्र हजार	3562
2014 भाग -1/5	5-फेंसिंग हेतु गड़डा खुदाई कार्य संख्या में (0.30X0.30X0.45 m)	3936 No	3.8	मा दि प्र से	13.756 रु प्र से	54144
6	सीमेन्ट पोल फिक्सिंग कार्य					
PWD SOR NO. 4.8.2.4 page 47	1- सीमेन्ट पोल गाडना सीमेन्ट ब्रकिट 1:2:4 के अनुपात में गड़डा साईज 30X30X45 से .मी = 0.040 घ.मी. (-)पोल साईज 10X10X30 से .मी = 0.003 घ.मी प्रति पोल सीमेन्ट काफिट कार्य - .0.037 घ.मी X 3936 पोल = 145.63 घ.मी.	145.63 घ.मी.	0		5072 रु प्र से	738646
	7-फेंसिंग हेतु गड़डा में फिक्स किये पोल्स की तरी 21 दिनों तक कार्य संख्या में तथा सामग्री स्थल पर परिवहन सामग्री स्थल पर परिवहन	3936 No	2	मा दि प्र से	7.24 रु प्र से	28497
					300 मा.दि.	108600
बाजार दर	11-चेनलिक फेंसिंग एवं बारबेड वायर लगाने हेतु यूनेल्स एवं वाईडिंग वायर क्रय कि.ग्रा. में	80 kg			85 रु प्र किग्रा	6800
2014	12- बारबेड वायर दो पक्ति में एवं चेनलिक जाली लगाना र.मी में	8200 r.m	0.16	मा दि	57.92 रु प्र रमी	474944
	अन्य बाजार दरों में वृद्धि आदि					1322515
	महायोग					5936800

वन परिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

उपवनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

योजना का द्वितीय वर्ष

(असिंचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
	मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
वृक्ष रोपण कार्य							
प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	44000	पौधे	0.03546	पौधा	1560	564807	बाजार दर
मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	8800	पौधे	0.03546	पौधा	312	112961	बाजार दर
पौधों का परिवहन (संख्या)							
2 ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	52800	पौधे	1.5	सैकड़ा	792	286704	जॉबदर
सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	52800	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	211.2	76454	जॉबदर
3 लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	30	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्ट	240	86880	जॉबदर
रोपण							
4 60x60x60 cm.	44000	गड्डे	2	प्रति सैकड़ा	880	318560	जॉबदर
5 प्रथम निंदाई							
पौधों में	44000	गड्डे	1.25	100	550	199100	जॉबदर
6 द्वितीय निंदाई							
पौधों में	44000	गड्डे	1	100	440	159280	जॉबदर
7 तृतीय निंदाई							
पौधों में	44000	गड्डे	1	100	440	159280	जॉबदर
8 खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	44000	गड्डे	0.6	प्रति सैकड़ा	264	95568	जॉबदर
9 आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
6 मीटर चौड़ी	8000	mtr	3.35	किमी	27	9702	जॉबदर
3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	12218	जॉबदर
10 सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह		2x9			540	195480	अनुमानित
11 उपलब्धता अनुसार सिंचाई	44000			Lumsum	2800	1013600	अनुमानित
12 अन्य व्यय (बीज क्रय एवं बुआई, कीटनाशक खाद आदि क्रय)					400	144800	अनुमानित
योग:-					9490	3435394	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

योजना का तृतीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.सं.	विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	शक्ति	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	शेपणी व्यय (10 प्रतिशत पीधों के पुर्नरोपण हेतु)	4400		0.03546	पीधा	156	56481	बाजार दर
2	पीधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	4400		1.5	100	66	23892	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	4400		0.4	सैकडा	18	6371	जॉबदर
3	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	8200						अनुमानित
4	प्रथम निंदाई					300	108600	
	पीधों में	44000		1.25	100	550	199100	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई							
	पीधों में	44000		1	100	440	159280	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई							
	पीधों में	44000	गड्डे	1	100	440	159280	जॉबदर
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	8000	mtr	3.35	किमी	27	9701.6	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	12217.5	जॉबदर
8	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह					अनुमानित
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	44000	गड्डे			720	260640	
10	अन्य व्यय				Lumsum	3000	1086000	अनुमानित
						161	58282	अनुमानित
						5911	2139619	

योग:-

योजना का चतुर्थ वर्ष

(असिंचित)

	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	विभाजक	
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई				
1	पौधों का व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनर्सोपण हेतु)	4400		0.03546	पोधा	156	56481	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	4400		3.5	100	66	23892	जीवदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	4400		0.4	सैकड़ों	18	6371	जीवदर
3	प्रथम निंदाई पौधों में	44000		1.25	100	550	199100	जीवदर
4	द्वितीय निंदाई पौधों में	44000		1	100	440	159280	जीवदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 6 मीटर चौड़ी	8000	mtr	3.35	किमी	27	9702	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.23	किमी	34	12218	जीवदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	260640	अनुमानित
7	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	44000	गड्डे		Lumsum	2000	724000	अनुमानित
8	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद / सिंचाई आदि क्रय)					200	72400	अनुमानित
योग:-						4210	1524083	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

(असिंचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मादि)		कुल मात्रा दिवस	वक्ति	रिमाई
	मात्रा	इकाई	मात्रा दिवस	इकाई			
मैकेनिक फोसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	8200				300	108600	अनुमानित
प्रथम निदाई							
चौथों में	44000	40000	1.25	1.25 / 100	550	199100	जीवदर
द्वितीय निदाई							
चौथों में	44000	40000	1	मादि / 10	440	159280	जीवदर
मानसिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
6 मीटर चौड़ी	8000	mtr	3.35	3.35 / किमी	27	9702	जीवदर
3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	2.25 / किमी	34	12218	जीवदर
सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	260540	अनुमानित
अन्य व्यय					200	72400	अनुमानित
कुल-					2271	821939	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

Asst

योजना का षष्ठम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	8 मीटर चौड़ी	8000	mtr	3.35	किमी	27	9702	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	12218	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	260640	अनुमानित
3	अन्य व्यय					100	36200	अनुमानित
	योग-					881	318759	

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	8 मीटर चौड़ी	8000	mtr	3.35	किमी	27	9702	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	12218	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	260640	अनुमानित
3	अन्य व्यय					100	36200	अनुमानित
	योग-					881	318759	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

A Singh

योजना का अष्टम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिक्त
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	8000	mtr	3.35	किमी	27	9702	जीवदर
3	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	12218	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					100	36200	अनुमानित
	योग-					521	188439	

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिक्त
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	8000	mtr	3.35	किमी	27	9702	जीवदर
3	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	12218	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					100	36200	अनुमानित
	योग-					521	188439	

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिक्त
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	8000	mtr	3.35	किमी	27	9702	जीवदर
3	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	12218	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					100	36200	अनुमानित
	योग-					521	188439	

योजना का ग्यारवा वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिक्त
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	8000	mtr	3.35	किमी	27	9702	जीवदर
3	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	12218	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					100	36200	अनुमानित
	योग-					521	188439	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
खन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

गोशवारा, आदर्श रोपण

वर्ष	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	राशि
प्रथम	41041	14856893	1	14856893
द्वितीय	9490	3435394	1.06	3641517
तृतीय	5911	2139619	1.1236	2404076
चतुर्थ	4210	1524083	1.191	1815183
पंचम	2271	821939	1.2625	1037698
षष्ठम	881	318759	1.3382	426563
सप्तम	881	318759	1.4185	452160
अष्टम	521	188439	1.504	283412
नवम	521	188439	1.594	300372
दशम	521	188439	1.69	318462
ग्यारवा	521	188439	1.79	337306
कुल योग	66766	24169203		25873643

उपवनमंडलाधिकारी
साजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र
साजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी

उपवन मंडल साजापुर (सा.)

14856893

3435394

2139619

1524083

821939

318759

318759

188439

188439

188439

188439

188439

167306

पूर्ति वृक्षारोपण हेतु आई.एस.पी. कालिसिंघ फेस 11 सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) कुल क्षेत्रफल 44.76 हेक्टेयर कार्ययोग्य 44 हेक्टेयर गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण

व्यय प्राक्कलन गोशवारा अनुसार

क्र	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि
1	वानिकी कार्यों की प्रस्तावित राशि	25873643
2	आस्थामलंक कार्य 5 प्रतिशत	1293682
3	मानव संसाधन विकास 1 प्रतिशत	258736
4	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण 4 प्रतिशत	1034946
	योग	28461008
5	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत	2846101
	महायोग	31307108

711525

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

Asingh

**आदेश द्वारा कमलिका मोहंता (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन**

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/मा.वि./2021/ 37

उज्जैन, दिनांक...07/09/2021

प्रकरण अन्तर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /एफ-3/102/2021/10-11/16/2548 दिनांक 29-07-2021 एवं 2568 दिनांक 29-07-2021 से दिये गये निर्देशानुसार वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक/मा.वि./2021/2406 दिनांक 12-08-2021 से जिला खण्डवा एवं जिला देवास के अन्तर्गत आई.एस.पी. कालीसिंह लिंक प्रोजेक्ट फेस-2 के निर्माण हेतु 147.09 हे. (वनमण्डल खण्डवा की 46.989 हे. एवं वनमण्डल देवास की 100.101 हे.) वनभूमि कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20 मण्डलेश्वर को उपयोग पर देने के प्रकरण में जिला कलेक्टर शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-19(3)/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 02-07-2021 से 151.220 हे. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित गैर वनभूमि में वृक्षारोपण कार्य के 11 वर्षीय प्रस्ताव तैयार कर निम्नानुसार प्रेषित किये हैं।

क्रं.	परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा (हे. मे)	योजना की राशि (लाख मे)
1	शाजापुर	मोहन बडोदिया	फावका	816/1 से 19, 8196/822	39.54	237.09

म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2012 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 14-बी में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर को कॅम्पा मद अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित गैर वनभूमि में वृक्षारोपण हेतु उपरोक्त क्षेत्र में तालिका में दर्शित प्रस्तावित राशि की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान की जाती है :-

- 1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरों निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानों के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
- 2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
- 3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी. /3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक-एफ-03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।
- 4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।
- 5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्डार नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' में सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई-मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रु. 1.00 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावे।
- 6) फेसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रमारी द्वारा अनिवार्यतः इंड्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

- 7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्डलाधिकारी/उपवनमण्डलाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्डलाधिकारी, 50% उपवनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।
- 8) वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।
- 9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- 10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।
- 11) वनमण्डलाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नहीं कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नहीं है तो उस स्थल पर कार्य नहीं कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।
- 12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजा जावे।
- 13) मुख्यतः कार्य मजदूरी से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरी की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।
- 14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।
- 15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 3410 एवं दिनांक 13-11-2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी में चस्पा किया जावे।
- 16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यों की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।
- 17) किये गये कार्यों की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई-ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal में समय-समय पर की जावे।
- 18) वनमण्डलाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।
- 20) स्वीकृत राशि से अधिक व्यय न किया जावे। वास्तविक व्यय अथवा स्वीकृत राशि, जो भी कम हो, को मान्य किया जावेगा।
- 21) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
- 22) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
- 23) भारत सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा कोविड-19 की महामारी के संबध में समय-समय पर जारी निर्देशों तथा Social Distancing एवं अन्य सावधानियों का पूर्ण पालन, कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान सुनिश्चित करें।
- 24) उपरोक्त प्राकलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होने के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राकलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अंतिम रूप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(कमलिका मोहंता)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2021/ 5908
प्रतिलिपि :-

उज्जैन, दिनांक.07/09/2021

- 1) महालेखाकार, (ऑडिट) ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर की ओर उनके पत्र क्रमांक/माचि/2021/2406 दिनांक 12-08-2021 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

(कमलिका मोहंता)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

परियोजना का नाम :- आई.एस.पी. कालिसिंध फेस ।। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन)

क्षेत्रफल :- फावका वैकल्पिक वृक्षारोपण (कुल 39.54 हे. कार्ययोग्य 39 हे.)

वनमण्डल का नाम :- शाजापुर वनमण्डल

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- आई.एस.पी. कालिसिंध फ़ेस ।। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) से प्रभावित 147.09 हैक्टेयर वन भूमि के बदले 151.200 हैक्टेयर (कुल 151.200 हे. कार्ययोग्य 148 हे.) गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण
2. फावका वैकल्पिक वृक्षारोपण (कुल 39.54 हे. कार्ययोग्य 39 हे.)
3. जिला :- शाजापुर
4. वनमण्डल :- शाजापुर
5. परिक्षेत्र :- शाजापुर
6. तहसील :- मोहन बड़ोदिया
7. ग्राम पंचायत :- फावका
8. बीट का नाम :- मो.बड़ोदिया
9. खसरा क्रमांक :- 816/1 से 816/19 एवं 822 पार्ट
10. ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति का नाम :- ग्राम वन समिति फावका.
11. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :- -
12. मिट्टी का प्रकार :- मुरमी
13. साईट क्वालिटी :- -

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 39000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
बांस	5000	1.5 से 2 वर्ष	45 से.मी.	3 से 5 से.मी.
चिरोल	10000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
नीम	10000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
आंवला	5000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
अन्य	9000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
योग-	39000			


3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर 45 से.मी. गहरे तथा 45 से.मी. चौड़े तथा 3 मीटर लम्बाई में कंटूर ट्रेंच बनाये जायेंगे। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थलों पर कंटूर बण्ड का निर्माण किया जायेगा। क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर से नाला बंधान का कार्य किया जायेगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिक फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।
5. पुर्नउत्पादन सफाई :- क्षेत्र में किये गये ठूठ ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा। क्षेत्र में बिरलन कार्य कार्ययोजना में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. बीज बुआई :- क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच से निकली मिट्टी एवं खुदाई के गद्दों के आसपास जहां संभव होगा उपयुक्त प्रजाति के बीजों की बुआई की जावेगी।

7. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैण्टाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत छटवे वर्ष तक प्रति वर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। सातवें वर्ष में 2 बार तथा आठवें वर्ष में 1 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।
8. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
9. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र शाजापुर


उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल शाजापुर


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल शाजापुर

म0प्र0 शासन

वन विभाग

वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना

परियोजना का नाम	आई.एस.पी. कालिसिंध फेस ।। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) से प्रभावित 147.09 हैक्टेयर वन भूमि के बदले 151.200 हैक्टेयर (कुल 151.200 हे. कार्ययोग्य 148 हे.) गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण
क्षेत्रफल	10 (कुल 39.54 हे. कार्ययोग्य 39 हे.)
कार्य योग्य	11 (कुल 39.54 हे. कार्ययोग्य 39 हे.)
स्थल	12 चार गाम फावका खसरा 816/1 से 816/19 एवं 822 पार्ट
तहसील	13 मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर
परिसर	14 मो.बड़ोदिया
समिति	15 ग्राम वन समिति फावका
वन परिक्षेत्र	16 शाजापुर
तहसील	17 मो.बड़ोदिया
उप वनमण्डल	18 शाजापुर
वनमण्डल	19 शाजापुर (सा0)
विधान सभा क्षेत्र	20 शाजापुर
जिला	21 शाजापुर म0प्र0
परियोजना अवधि	22 2022-2023 से 2033-2034

वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना

खसरा नंबर 816/1 से 816/19 एवं 822 पाट ग्राम फावका
तह. मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर

भाग-1

1- परियोजना का विवरण

(अ) परियोजना का नाम

: आई.एस.पी. कालिसिंध फेस II सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) से प्रभावित 147.09 हैक्टेयर वन भूमि के बदले 151.200 हैक्टेयर (कुल 151.200 हे. कार्ययोग्य 148 हे.) गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण

(ब) भारत सरकार का प्रस्ताव

(स) प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण

: क्रमांक FP/MP/IRRIG/139995/2021
147.09 हे०

1. प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल

खसरा नंबर 816/1 से 816/19 एवं 822
पाट ग्राम फावका,

2. जिला

तह. मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर

3. वनमण्डल

: शाजापुर

4. परिक्षेत्र

: शाजापुर (सा०)

5. तहसील

: शाजापुर

6. विकासखण्ड

: मो.बड़ोदिया

7. विधानसभा क्षेत्र

: मो.बड़ोदिया

8. ग्राम पंचायत

: शाजापुर

9. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त

: फावका

10. क्षेत्रीय परिसर बीट

: शाजापुर

2- स्थल विशेष जानकारी

1. वन समिति

: मो.बड़ोदिया

2. वनखण्ड एवं कक्ष क्रमांक

: ग्राम वन समिति, फावका

3. कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हे०)

: -

4. कार्यवृत्त

: -

5. उपचार श्रेणी/पातन श्रेणी

: -

6. उपचार ईकाई/कूप क्रमांक

: -

7. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी

: 30 कि०मी०

8. कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी : निरंक

वर्ष	योजना	क्षेत्रफल	वर्तमान स्थिति
1	निरंक	-	-

9. प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण

ए. योजना

: निरंक

बी. वर्ष

: निरंक

सी. क्षेत्रफल

: निरंक

डी. प्रजाति

ई. वृक्षारोपण असफलता का कारण

एफ. वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण

10. गठित समिति का प्रकार

11. समिति का मुख्यालय

12. समिति में सम्मिलित गांव

13. समिति के अध्यक्ष का नाम

14. परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम

15. परिक्षेत्र सहायक का नाम

16. समिति के सदस्यों की जानकारी -

महिला :-

पुरुष :-

कुल :-

3- उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)

ए. टोपोग्राफी

बी. एस्पेक्ट

सी. ढलान

(अ) पानी निकासी

(ब) भू-क्षरण

डी. भौमिकीय

शैल(चट्टानों)

ई. मिट्टी का प्रकार

एफ. औसत वर्षा

जी. नरम मिट्टी का क्षेत्र

एच. कड़ी मिट्टी का क्षेत्र

आई. पथरीलि मिट्टी

4- वन क्षेत्र का विवरण :-

ए. वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण :-

वृक्षों की जानकारी -

प्रजाति	20 से 0मी0 तक की सीधी एवं स्थापित पौधे	21 से 0मी0 से अधिक के वृक्ष
सागौन	0	0
अन्य	0	0
योग	0	0

बी. साईट क्वालिटी घनत्व

सी. पूर्ण वन वर्धन (Root stock Development)

ठूठ एवं गोलाई की गणना

प्रजाति	गोलाई वर्ग						
	20 से. मी. तक आडी- टेडी पौध	21 से 30 से0मी0	31 से 45 से0मी0	46 से 60 से0मी0	61 से 90 से0मी0	91 से 120 से0मी0	120 से0मी0 से उपर
सागौन		0	0	0	0	0	0
मिश्रित		0	0	0	0	0	0
योग		0	0	0	0	0	0

डी. आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र	:	हे०
ई. आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:	39 हे०
एफ. खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना)	:	30 हे०
जी. पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:	39 हे०
एच. चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:	निरंक
आई. विकृत बांस का क्षेत्र	:	निरंक
जे. क्षेत्र जो प्रथरीला कटाव वाला	:	निरंक
के. प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य)	:	निरंक
एल. जैविक दबाव :-		

	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्यप्राणी	-	औसत	-
चराई	-	औसत	-
मानव	-	औसत	-

5- 1. योजना का उद्देश्य	:	प्रत्यावर्तित वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण कर वनक्षेत्र को वनाच्छादित करना तथा मजदूरों को राजगार उपलब्ध कराना।
2. क्षेत्रफल	:	39 हे०
3. क्षेत्र की बाहरी सीमा की लम्बाई	:	3400 र.मी.
4. प्रस्तावित फेंसिंग	:	3400 र.मी.
6- उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण		
कट बैक का क्षेत्रफल	:	00.0 हे०
वृक्षारोपण का क्षेत्र	:	39 हे०
भू-संरक्षण का क्षेत्र	:	25 प्रतिशत
लेन्टाना	:	30 हैक्टेयर
7- रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किये जावेंगे		
8- रोपणी से रोपण स्थल की दूरी	:	120 कि०मी०
ए. ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	:	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा
बी. सिरबोझ द्वारा	:	सिरबोझ द्वारा
9- सिंचाई का विवरण		
ए. जल स्रोत	:	नहीं
बी. वृक्षारोपण से दूरी	:	
सी. सिंचाई प्रकार	:	
डी. बिजली उपलब्धता	:	टैंकर एवं मजदूरों द्वारा है
10- प्रति हेक्टर पौधों की संख्या :-		
ए. प्रति हेक्टर सी०बी०ओ० से प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या	:	-
बी. क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (20 से०मी० से अधिक)	:	00
सी. क्षेत्र में सीधी एवं स्थापित पौधे (20 से०मी० गोलाई से कम)	:	00
डी. रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या	:	39000

(न्यूनतम 1000 पौधे प्रति हेक्टर) कुल
11- योजना की अवधि

: 39000

: 2022-23 से 2033-2034 तक

12- (1) योजना पर होने वाला
संभावित व्यय


: 23709077 /-


(विस्तृत प्राकलन एवं उपचार मानचित्र
पृथक से संलग्न है)


(2) प्रति हेक्टर व्यय

: 623923 /-

13- अन्य विवरण




उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल शाजापुर (सा.)


वन परिक्षेत्राधिकारी
शाजापुर (सा.)


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल खसरा नंबर 816/1 से 816/19 एवं 822 पार्ट ग्राम फावका तहसील मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर के क्षेत्र 39 हैक्टेयर (कुल 39.54 हे. कार्य योग्य 39 हे.) का मेरे द्वारा दिनांक 15.7.21 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
शाजापुर (सा.)



नाम -

पता -

शेरा -

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल खसरा नंबर 816/1 से 816/19 एवं 822 पार्ट ग्राम फावका तहसील मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर के क्षेत्र 39 हैक्टेयर (कुल 39.54 हे. कार्य योग्य 39 हे.) का मेरे द्वारा दिनांक 25.10.21 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मंडल शाजापुर (सा.)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल खसरा नंबर 816/1 से 816/19 एवं 822 पार्ट ग्राम फावका तहसील मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर के क्षेत्र 39 हैक्टेयर (कुल 39.54 हे. कार्य योग्य 39 हे.) का मेरे द्वारा दिनांक 14.7.21 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक : 14-7-21

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 37 दिनांक 07/09/2021 द्वारा जारी की गई।

मुख्य वन संरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

अतिपूति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल- 39.54 हे. कार्योपय 39 हे.)

(प्रसिधित)

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

ग्राम : कावका मो. रकबा 39
 तहसील : हबोदिया
 जिला : शाजापुर

हेक्टेयर कुल क्षेत्र 39.54 हे. कार्योपय 39 हे.
 गा.वि. दर 362

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
 संख्या 1000 पीघे प्रति हेक्टेयर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति हेक्टर (मा.दि.)		कुल मात्रा दिवस	जमि	विचार
	मात्रा	इकाई	मूल्य दिवस	इकाई			
1. कार्य एवं सीमांकन हेतु	39.54	ha	0.45	हे०	18	6441	जीवदर
2. पक्के मुनारो का निर्माण	25	मुकत	16	मुकत	400	144800	मूल्य के अन्वय पर
3. ट्रीटमेंट टाइम का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्ट.	39	ha	1.00	-	39	14118	अनुमानित
4. क्षेत्र सफाई (हे०)	39	ha	4.00	प्रति हे०	156	56472	जीवदर
5. लेपटाया उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	20	ha	12.50	प्रति हेक्टर	250	90500	जीवदर
6. वृक्षारोपण की 39.54 हे. की परिधि 3400 रनिंग मीटर, वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊँची, 75 mm X 75 mm की गैस साइज, 12 गेज वेनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की गुळीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जावेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट फ़ाब्रीक से बरा जायेगा। विवरण संलग्न है।	3400	Rmt	2	Rmt	6800	2461600	मूल्य के अन्वय पर
8. गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	39000	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	98	35295	जीवदर
7. रोपण हेतु गड्ढा खुदाई संख्या 60x60x60 cm.	39000	गड्ढे	10	प्रति सैकड़	3900	1411800	जीवदर
8. गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कच आकलन का 50 प्रतिशत	4212	घ०मी०	1.5	घ०मी०	6318	2287116	बाजार दर
9. गोबर खाद डालने हेतु कच आकलन का 25 प्रतिशत	2106	घ०मी०	3	घ०मी०	6318	2287116	बाजार दर
10. उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	39000	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़	585	211770	जीवदर
11. 2 हट निर्माण		L.S.			240	86880	अनुमानित
12. अन्य व्यय (गिरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेट, चूना आदि)					200	72400	अनुमानित
13. मू-जल संरक्षण कार्य							
बोल्डर फेक डेम निर्माण	500	39 हे०		1 मा.दि.	500	181000	अनुमानित
अर्देन फेक डेम निर्माण	200	39 हे०		0.6 मा.दि.	120	43440	अनुमानित
कट्टर ट्रेंच किन्हांकन	3000	39 हे०		0.15 मा.दि.	450	162900	अनुमानित
कट्टर ट्रेंच निर्माण 30.00X0.45 मीटर	3000	39 हे०		0.33 मा.दि.	990	358380	अनुमानित
कुल योग					27381	9912028	

उपवनमंडलाधिकारी
 ,शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
 ,शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
 वन मंडल शाजापुर (सा.)

Asish

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

वृक्षारोपण हेतु आई.एस.पी. कालिसिंध फेस 11 सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) कुल क्षेत्रफल 39.54 हेक्टेयर कार्ययोग्य 39 हेक्टेयर गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण

क्षेत्रफल 39 ha. घेराव 39.54 ha.
क्षेत्र तैयारी प्रथम वर्ष 2022-23 फेसिंग कार्य मा.दि. 362 रु.

क्र.	वन संरक्षक जॉब दरें	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा (हे. / कि.ग्रा. / र. मी. / घ.मी. में)	जाबदर मानव दिवस में	दर प्रति (हे. / कि.ग्रा. / र.मी. / घ.मी. में / रूपय में)	राशि
4	एल.यु.एन.	प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र फेंसिंग कार्य	3400 r.m			0
	एल.यु.एन.	1- आर.सी.सी. पोलस क्रय ऊंचाई 1.8 मीटर 2.5 मीटर स्पेस (1360+10 प्रतिशत स्पोटिंग पोल+10 प्रतिशत टूटफूट = 1632 पोल)	1632 No	0	285 रु. प.नग	465120
	एल.यु.एन.	2- बारबेड वायर क्रय 3400 X 2= 6800 mm/6 = 1133 kg (6 m = 1kg)	1133 kg	0	85 रु प्र किग्रा	96333
	एल.यु.एन.	3-वैनलिक जाली क्रय (3400 मी. x 1.50 = 5100 वर्ग मीटर)	5100 sqm	0	150 रु प्र व.मी	765000
2014		4- फेंसिंग हेतु गड़डा एलाईजमेंट कार्य संख्या में	1632 No	2.5 मा दि प्र हजार	905 रु प्र हजार	1477
2014 भाग -1/5		5-फेंसिंग हेतु गड़डा खुदाई कार्य संख्या में (0.30X0.30X0.45 m)	1632 No	3.8 मा दि प्र से	13.756 रु प्र से	22460
6		सीमेन्ट पोल फिक्सिंग कार्य				
PWD SOR NO. 4.8.2.4 page 47		1- सीमेन्ट पोल गाडना सीमेन्ट काफिंट 1:2:4 के अनुपात में गड़डा साईज 30X30X45 से.मी = 0.040 घ.मी. (-)पोल साईज 10X10X30 से.मी = 0.003 घ.मी. प्रति पोल सीमेन्ट काफिंट कार्य - 0.037 घ.मी. X 1632 पोल = 60.38 घ.मी.	60.38 घ.मी.	0	5072	306268
		7-फेंसिंग हेतु गड़डा में फिक्स किये पोल्स की तरी 21 दिनों तक कार्य संख्या में तथा सागरी स्थल पर परिवहन	1632 No	2 मा दि प्र से	7.24 रु प्र से	11816
		सागरी स्थल पर परिवहन			200 मा.दि.	72400
बाजार दर		11-वैनलिक फेंसिंग एवं बारबेड वायर लगाने हेतु यूनेल्स एवं वाईडिंग वायर क्रय कि.ग्रा. में	40 kg		85 रु प्र किग्रा	3400
2014		12- बारबेड वायर दो पक्ति में एवं वैनलिक जाली लगाना र.मी में	3400 r.m	0.16 मा दि	57.92 रु प्र रमी	196928
		अन्य बाजार दरों में वृद्धि आदि				520409
		महायोग				2461600

वन परिसर अधिकारी
शाजापुर (सा.)

उपवनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

योजना का द्वितीय वर्ष

(असिंचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
सूचना कार्य							
प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	39000	पौधे	0.0355	पौधा	1383	500624	बाजार दर
नृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	7800	पौधे	0.0355	पौधा	277	100125	बाजार दर
पौधों का परिवहन (संख्या)							
ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	46800	पौधे	1.5	सैकड़ा	702	254124	जॉबदर
सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	46800	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	187.2	67766	जॉबदर
लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	20	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्ट	160	57920	जॉबदर
रोपण							
60x60x60 cm.	39000	गड्डे	2	प्रति सैकड़ा	780	282360	जॉबदर
प्रथम निंदाई							
पौधों में	39000	गड्डे	1.25	100	487.5	176475	जॉबदर
द्वितीय निंदाई							
पौधों में	39000	गड्डे	1	100	390	141180	जॉबदर
तृतीय निंदाई							
पौधों में	39000	गड्डे	1	100	390	141180	जॉबदर
खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	39000	गड्डे	0.6	प्रति सैकड़ा	234	84708	जॉबदर
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	4851	जॉबदर
3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
सुरक्षा, 1 श्रमिक 9 माह		1x9			270	97740	अनुमानित
उपलब्धता अनुसार सिंचाई	39000			Lumsum	2900	1049800	अनुमानित
अन्य व्यय (बीज क्रय एवं बुआई, कीटनाशक खाद आदि क्रय)					400	144800	अनुमानित
योग-					8596	3111798	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

योजना का तृतीय वर्ष

(असिंचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1 रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	3900		0.03546	पौधा	138	50062	बाजार दर
पौधों का परिवहन (संख्या)							
2 ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	3900		1.5	100	59	21177	जॉबदर
सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3900		0.4	सैकड़ा	16	5647	जॉबदर
3 घेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	3400				300	108600	अनुमानित
4 प्रथम निंदाई पौधों में	39000		1.25	100	488	176475	जॉबदर
5 द्वितीय निंदाई पौधों में	39000		1	100	390	141180	जॉबदर
6 तृतीय निंदाई पौधों में	39000	गड्डे	1	100	390	141180	जॉबदर
7 आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	4850.8	जॉबदर
3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
8 सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह			360	130320	अनुमानित
9 उपलब्धता अनुसार सिंचाई	39000	गड्डे		Lumsum	3000	1086000	अनुमानित
10 अन्य व्यय					287	103894	अनुमानित
योग:-					5463	1977751	

योजना का चतुर्थ वर्ष

(असिंचित)

क्र.सं.	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	शक्ति	रिमांक		
		मात्रा	इकाई				मानव दिवस	इकाई
	पौधों का व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनर्सोपण हेतु)	3900		0.03546	पौधा	138	50062	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	3900		1.5	100	59	21177	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3900		0.4	सैकड़ा	16	5647	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	39000		1.25	100	488	176475	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	39000		1	100	390	141180	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	4851	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
7	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	39000	गड्डे		Lumsum	2000	724000	अनुमानित
8	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद/सिंचाई आदि क्रय)					400	144800	अनुमानित
योग-						3886	1406657	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

(असिंचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	टिप्पण
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1 घनलिक फॉसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	3400				300	108600	अनुमानित
2 प्रथम निंदाई							
पीछों में	39000	40000	1.25	1.25 / 100	488	176475	जॉबदर
द्वितीय निंदाई							
3 पीछों में	39000	40000	1	मादि / 10	390	141180	जॉबदर
आन्तरिक अभि सुरक्षा लाईन							
4 6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	3.35 / किमी	13	4851	जॉबदर
3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	2.25 / किमी	23	8145	जॉबदर
5 सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
6 अन्य व्यय					200	72400	अनुमानित
घान:-					1773	641971	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

योजना का षष्ठम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	4851	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / सुरक्षा अभिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					100	36200	अनुमानित
	योग-					496	179516	

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	4851	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / सुरक्षा अभिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					100	36200	अनुमानित
	योग-					496	179516	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

योजना का अष्टम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	4851	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					100	36200	अनुमानित
	योग-					496	179516	

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	4851	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					100	36200	अनुमानित
	योग-					496	179516	

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	4851	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					100	36200	अनुमानित
	योग-					496	179516	

योजना का ग्यारवा वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	4851	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					100	36200	अनुमानित
	योग-					496	179516	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)


वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)


वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)


Asst


गौशवारा, आदर्श रोपण

वर्ष	प्रस्तावित मानव दिवस	राशि	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	राशि
प्रथम	27381	9912028	1	9912028
द्वितीय	8596	3111798	1.06	3298506
तृतीय	5463	1977751	1.1236	2222201
चतुर्थ	3886	1406657	1.191	1675329
पंचम	1773	641971	1.2625	810488
षष्ठम	496	179516	1.3382	240228
सप्तम	496	179516	1.4185	254643
अष्टम	496	179516	1.504	269992
नवम	496	179516	1.594	286148
दशम	496	179516	1.69	303382
ग्यारवा	496	179516	1.79	321333
कुल योग	50075	18127300		19594278


उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)


वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)


वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)





शक्तिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आई.एस.पी. कालिसिंघ फेस ।। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) कुल क्षेत्रफल 39.54 हैक्टेयर कार्ययोग्य 39 हैक्टेयर गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण


व्यय प्राक्कलन गोशवारा अनुसार

क्र	कार्य का नाम	प्रावधानित राशि
1	वानिकी कार्यों की प्रस्तावित राशि	19594278
2	आस्थामलंक कार्य 5 प्रतिशत	979714
3	मानव संसाधन विकास 1 प्रतिशत	195943
4	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण 4 प्रतिशत	783771
	योग	21553706
5	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत	2155371
	महायोग	23709077

623923


उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)



वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)


वन मंडलाधिकारी

वन मंडल शाजापुर (सा.)

ISP-KALISINDH PHASE II LIFT MICRO IRRIGATION PROJECT (PIPE LINE)
 SHAJAPUR DIVISION, AGAR MALAWA DISTRICT, COMPANSETRY AFORESTRATION
 THASIL MOHANBADODIYA, VILLAGE NAME FAVAKA

CA TREATMENT MAP



SNO	FAV	KHA
1	23°	23°
2	23°	23°
3	23°	23°
4	23°	23°
5	23°	23°
6	23°	23°
7	23°	23°
8	23°	23°
9	23°	23°
10	23°	23°
11	23°	23°
12	23°	23°
13	23°	23°
14	23°	23°
15	23°	23°
16	23°	23°
17	23°	23°
18	23°	23°
19	23°	23°
20	23°	23°

**आदेश द्वारा कमलिका मोहंता (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन**

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/मा.चि./2021/ 38

उज्जैन, दिनांक...07/09/2021

प्रकरण अन्तर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /एफ-3/102/2021/10-11/16/2548 दिनांक 29-07-2021 एवं 2568 दिनांक 29-07-2021 से दिये गये निर्देशानुसार वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./2021/2406 दिनांक 12-08-2021 से जिला खण्डवा एवं जिला देवास के अन्तर्गत आई.एस.पी. कालीसिंह लिंक प्रोजेक्ट फेस-2 के निर्माण हेतु 147.09 हे. (वनमण्डल खण्डवा की 46.989 हे. एवं वनमण्डल देवास की 100.101 हे.) वनभूमि कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20 मण्डलेश्वर को उपयोग पर देने के प्रकरण में जिला कलेक्टर शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-19(3)/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 02-07-2021 से 151.220 हे. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित गैर वनभूमि में वृक्षारोपण कार्य के 11 वर्षीय प्रस्ताव तैयार कर निम्नानुसार प्रेषित किये हैं।

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा (हे. मे)	योजना की राशि (लाख मे)
1	शाजापुर	मोहन बड़ोदिया	कडूला	2243/3, 2224, 2245, 2246, 2247	25.48	154.37

म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशियल पॉवर 2012 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 14-बी में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर को कैम्पा मद अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित गैर वनभूमि में वृक्षारोपण हेतु उपरोक्त क्षेत्र में तालिका में दर्शित प्रस्तावित राशि की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरों निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानों के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
- 2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
- 3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी. /3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक-एफ-03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।
- 4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।
- 5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्डार नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' में सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई-मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रु. 1.00 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावे।
- 6) फेंसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रमारी द्वारा अनिवार्यतः इंड्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

- 7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्डलाधिकारी/उपवनमण्डलाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्डलाधिकारी, 50% उपवनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।
- 8) वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।
- 9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- 10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।
- 11) वनमण्डलाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नहीं कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नहीं है तो उस स्थल पर कार्य नहीं कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।
- 12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजा जावे।
- 13) मुख्यतः कार्य मजदूरों से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरों की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।
- 14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।
- 15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13-11-2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी में चरसा किया जावे।
- 16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यों की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।
- 17) किये गये कार्यों की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई-ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal में समय-समय पर की जावे।
- 18) वनमण्डलाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगें।
- 19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।
- 20) स्वीकृत राशि से अधिक व्यय न किया जावे। वास्तविक व्यय अथवा स्वीकृत राशि, जो भी कम हो, को मान्य किया जावेगा।
- 21) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
- 22) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
- 23) भारत सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा कोविड-19 की महामारी के संबध में समय-समय पर जारी निर्देशों तथा Social Distancing एवं अन्य सावधानियों का पूर्ण पालन, कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान सुनिश्चित करें।
- 24) उपरोक्त प्रावधान Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होने के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्रावधान आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रूप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(कमलिखा मोहंता)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.वि./2021/ 5409
प्रतिलिपि :-

उज्जैन, दिनांक 07/09/2021

- 1) महालेखाकार, (ऑडिट) ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.वि./2021/ 2406 दिनांक 12-08-2021 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

(कमलिका मोहंता)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

परियोजना का नाम :- आई.एस.पी. कालिसिंध फेस ।। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन)

क्षेत्रफल :- कडुला वैकल्पिक वृक्षारोपण (कुल 25.48 हे. कार्ययोग्य 25 हे.)

वनमण्डल का नाम :- शाजापुर वनमण्डल

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- आई.एस.पी. कालिसिंध फेस 'II' सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) से प्रभावित 147.09 हैक्टेयर वन भूमि के बदले 151.200 हैक्टेयर (कुल 151.200 हे. कार्ययोग्य 148 हे.) गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण
2. कडुला वैकल्पिक वृक्षारोपण (कुल 25.48 हे. कार्ययोग्य 25 हे.)
3. जिला :- अहमद नगर शाजापुर
4. वनमण्डल :- शाजापुर
5. परिक्षेत्र :- शाजापुर
6. तहसील :- मोहन बड़ोदिया
7. ग्राम पंचायत :- कडुला
8. बीट का नाम :- मो.बड़ोदिया.
9. खसरा क्रमांक :- 2243/3, 2244, 2245, 2246, 2247
10. ग्राम वन समिति/ वन सुरक्षा समिति का नाम :- ग्राम वन समिति कडुला
11. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :- -
12. मिट्टी का प्रकार :- मुरमी
13. साईट क्वालिटी :- -

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 25000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
बास	0	1.5 से 2 वर्ष	45 से.मी.	3 से 5 से.मी.
चिरोल	8000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
नीम	10000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
आंवला	2000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
अन्य	5000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
योग-	25000			

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर 45 से.मी. गहरे तथा 45 से.मी. चौड़े तथा 3 मीटर लम्बाई में कंटूर ट्रेंच बनाये जायेंगे। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थलों पर कंटूर बण्ड का निर्माण किया जायेगा। क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर से नाला बंधान का कार्य किया जायेगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिक फैंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।
5. पुर्नउत्पादन सफाई :- क्षेत्र में किये गये टूठ ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष, अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा। क्षेत्र में बिरलन कार्य कार्ययोजना में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. बीज बुआई :- क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच से निकली मिट्टी एवं खुदाई के गढ़दों के आसपास जहां संभव होगा उपयुक्त प्रजाति के बिजों की बुआई की जावेगी।


7. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैण्टाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत छठवे वर्ष तक प्रति वर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। सातवें वर्ष में 2 बार तथा आठवें वर्ष में 1 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।
8. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
9. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-


परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र शाजापुर


उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल शाजापुर


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल शाजापुर

म0प्र0 शासन

वन विभाग

वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना

परियोजना का नाम	
क्षेत्रफल	आई.एस.पी. कालिसिंध फेस ॥ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) से प्रभावित 147.09 हैक्टेयर वन भूमि के बदले 151.200 हैक्टेयर (कुल 151.200 हे. कार्ययोग्य 148 हे.) गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण
कार्य योग्य	(कुल 25.48 हे. कार्ययोग्य 25 हे.)
स्थल	(कुल 25.48 हे. कार्ययोग्य 25 हे.)
तहसील	ग्राम कडुला खसरा 2243/3, 2244, 2245, 2246, 2247
परिसर	मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर
समिति	मो.बड़ोदिया
वन परिक्षेत्र	ग्राम वन समिति कडुला
तहसील	शाजापुर
उप वनमण्डल	मो.बड़ोदिया
वनमण्डल	शाजापुर
विधान सभा क्षेत्र	शाजापुर (सा0)
जिला	शाजापुर
परियोजना अवधि	शाजापुर म0प्र0. 2022-2023 से 2033-2034

वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना

खसरा नंबर 2243/3, 2244, 2245, 2246, 2247 ग्राम कडुला, तह. मो.बड़ोदिया
जिला शाजापुर

भाग-1

1- परियोजना का विवरण

(अ) परियोजना का नाम

: आई.एस.पी. कालिसिंध फेस II सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) से प्रभावित 147.09 हैक्टेयर वन भूमि के बदले 151.200 हैक्टेयर (कुल 151.200 हे. कार्ययोग्य 148 हे.) गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण

(ब) भारत सरकार का प्रस्ताव

(स) प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण

: क्रमांक FP/MP/IRRIG/139995/2021
147.09 हे०

1. प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल

खसरा नंबर 2243/3, 2244, 2245, 2246,

2247 ग्राम कडुला,

तह. मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर

: शाजापुर

: शाजापुर (सा०)

: शाजापुर

: मो.बड़ोदिया

: मो.बड़ोदिया

: शाजापुर

: कडुला

: शाजापुर

: मो.बड़ोदिया

2. जिला

3. वनमण्डल

4. परिक्षेत्र

5. तहसील

6. विकासखण्ड

7. विधानसभा क्षेत्र

8. ग्राम पंचायत

9. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त

10. क्षेत्रीय परिसर बीट

2- स्थल विशेष जानकारी

1. वन समिति

: ग्राम वन समिति, कडुला

2. वनखण्ड एवं कक्ष क्रमांक

: -

3. कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हे०)

: -

4. कार्यवृत्त

: -

5. उपचार श्रेणी/पातन श्रेणी

: -

6. उपचार ईकाई/कूप क्रमांक

: -

7. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी

: 30 कि०मी०

8. कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी : निरंक

वर्ष	योजना	क्षेत्रफल	वर्तमान स्थिति
1	निरंक	-	-

9. प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण

ए. योजना

: निरंक

बी. वर्ष

: निरंक

सी. क्षेत्रफल

: निरंक

डी. प्रजाति
ई. वृक्षारोपण असफलता का कारण

- एफ. वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण
10. गठित समिति का प्रकार
11. समिति का मुख्यालय
12. समिति में सम्मिलित गांव
13. समिति के अध्यक्ष का नाम
14. परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम
15. परिक्षेत्र सहायक का नाम
16. समिति के सदस्यों की जानकारी -

महिला :-

पुरुष :-

कुल :-

3- उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)

ए. टोपोग्राफी

बी. एस्पेक्ट

सी. ढलान

(अ) पानी निकासी

(ब) भू-क्षरण

डी. भौमिकीय

शैल(चट्टानें)

ई. मिट्टी का प्रकार

एफ. औसत वर्षा

जी. नरम मिट्टी का क्षेत्र

एच. कड़ी मिट्टी का क्षेत्र

आई. पथरीलि मिट्टी

4- वन क्षेत्र का विवरण :-

ए. वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण :

वृक्षों की जानकारी -

प्रजाति	20 से 0मी० तक की सीधी एवं स्थापित पौधे	21 से 0मी० से अधिक के वृक्ष
सागौन	0	0
अन्य	0	0
योग	0	0

बी. साईट क्वालिटी घनत्व

सी. पूर्ण वन वर्धन (Root stock Development)

ठूठ एवं गोलाई की गणना

प्रजाति	गोलाई वर्ग						
	20 से. मी. तक आडी- टेडी पौध	21 से 30 से०मी०	31 से 45 से०मी०	46 से 60 से०मी०	61 से 90 से०मी०	91 से 120 से०मी०	120 से०मी० से उपर
सागौन		0	0	0	0	0	0
मिश्रित		0	0	0	0	0	0
योग		0	0	0	0	0	0


डी. आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र	:	हे०
ई. आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:	25 हे०
एफ. खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना)	:	15 हे०
जी. पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:	25 हे०
एच. चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:	निरंक
आई. विकृत बांस का क्षेत्र	:	निरंक
जे. क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला	:	निरंक
के. प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य)	:	निरंक
एल. जैविक दबाव :-		


	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्यप्राणी	-	औसत	-
चराई	-	औसत	-
मानव	-	औसत	-


5- 1. योजना का उद्देश्य	:	प्रत्यावर्तित वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण कर वनक्षेत्र को वनाच्छादित करना तथा मजदूरों को राजगार उपलब्ध कराना।
2. क्षेत्रफल	:	25 हे०
3. क्षेत्र की बाहरी सीमा की लम्बाई	:	3200 र.मी.
4. प्रस्तावित फेंसिंग	:	3200 र.मी.
6- उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण		
कट बैक का क्षेत्रफल	:	00.0 हे०
वृक्षारोपण का क्षेत्र	:	25 हे०
भू-संरक्षण का क्षेत्र	:	25 प्रतिशत
लेन्टाना	:	15 हेक्टेयर
7- रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किये जावेंगे	:	
8- रोपणी से रोपण स्थल की दूरी	:	120 कि०मी०
ए. ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	:	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा
बी. सिरबोझ द्वारा	:	सिरबोझ द्वारा
9- सिंचाई का विवरण		
ए. जल स्रोत	:	नहीं
बी. वृक्षारोपण से दूरी	:	
सी. सिंचाई प्रकार	:	टेंकर एवं मजदूरों द्वारा
डी. बिजली उपलब्धता	:	है
10- प्रति हेक्टर पौधों की संख्या :-		
ए. प्रति हेक्टर सी०बी०ओ० से प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या	:	-
बी. क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (20 से०मी० से अधिक)	:	00
सी. क्षेत्र में सीधी एवं स्थापित पौधे (20 से०मी० गोलाई से कम)	:	00
डी. रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या	:	25000

(न्यूनतम 1000 पौधे प्रति हेक्टर) कुल : 25000
11- योजना की अवधि : 2022-23 से 2033-2034 तक

12- (1) योजना पर होने वाला
संभावित व्यय : 15437247 / -
(विस्तृत प्राकलन एवं उपचार मानचित्र
पृथक से संलग्न है)
(2) प्रति हेक्टर व्यय : 617490 / -
13- अन्य विवरण


उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल शाजापुर (सा.)


वन परिक्षेत्राधिकारी
शाजापुर (सा.)


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल खसरा नंबर 2243/3, 2244, 2245, 2246, 2247 ग्राम कडुला तहसील मो.बड़ोदिय जिला शाजापुर के क्षेत्र 25 हैक्टेयर (कुल 25.48 हे. कार्य योग्य 25 हे.) का मेरे द्वारा दिनांक 15/02/21 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

AS, 15/02/21
वन परिक्षेत्राधिकारी
शाजापुर (सा.)

AS, 15/02/21

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल खसरा नंबर 2243/3, 2244, 2245, 2246, 2247 ग्राम कडुला तहसील मो.बड़ोदिय जिला शाजापुर के क्षेत्र 25 हैक्टेयर (कुल 25.48 हे. कार्य योग्य 25 हे.) का मेरे द्वारा दिनांक 25/02/21 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।


AS
उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मंडल शाजापुर (सा.)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल खसरा नंबर 2243/3, 2244, 2245, 2246, 2247 ग्राम कडुला तहसील मो.बड़ोदिय जिला शाजापुर के क्षेत्र 25 हैक्टेयर (कुल 25.48 हे. कार्य योग्य 25 हे.) का मेरे द्वारा दिनांक 14.7.21 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।


प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक : 14.7.21


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 38 दिनांक 07/09/2021 द्वारा जारी की गई।


मुख्य वन संरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

शुद्धि वृक्षारोपण हेतु आवर्ष योजना (क्षेत्रफल - 25.48 हेक्टर)

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

वर्ष : वृषीत ककुला ओ रकबा
: जिला : बडोदिया
शाजापुर

25 हेक्टर

कुल रकबा 25.48 हे. एवं कार्ययोग्य 25 हे.
(असिचित) मा.दि. दर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
संख्या-1000 पीछे प्रति हेक्टर

362

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मात्रा विषय	रशि	विवरण
		मात्रा	इकाई	मात्रा विषय	इकाई			
1	सर्व एवं सीमांकन हेतु	25.48	ha	0.45	प्रति हे०	11	4151	जोखर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	15	मुनारा	16	मुनारा	240	86880	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्टर	25	ha	1.00	-	25	9050	अनुमानित
4	क्षेत्र साफाई (हे०)	25	ha	4.00	प्रति हे०	100	36200	जोखर
5	लेप्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	15	ha	12.50	प्रति हेक्टर	188	67875	जोखर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 25.48 हे. में 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गंज सेमलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.80 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगवाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गडकों में 1:2:4 के सीमेंट कांजीट से भर जायेगा। विवरण संलग्न है।	3200		2	Rmt	6400	2316800	गणना के आधार पर
8	गडकों खुदाई हेतु स्ट्रेकिंग एवं एक्सावनेट	25000	गडके	2.5	प्रति हजार	63	22625	जोखर
7	रोपण हेतु गडका खांदाई संख्या 60x60x60 cm.	25000	गडके	5	प्रति सैकड़ा	1250	452500	जोखर
8	गडकों में मिट्टी बदलने हेतु ढक आयतन का 90 प्रतिशत	2700	घ0मी०	1.5	प्रति घ0मी०	4050	1466100	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु ढक आयतन का 25 प्रतिशत	1350	घ0मी०	3	प्रति घ0मी०	4050	1466100	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गडकों में डालना	25000	गडके	1.5	100	375	135750	जोखर
11	2 हट निर्माण		L.S.			240	86880	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पैट, घुना आदि)					200	72400	अनुमानित
13	मू-जल संरक्षण कार्य							
	बोल्डर चेक डेम निर्माण	500	25 हे०		1 मा.दि.	500	181000	अनुमानित
	अर्बनू चेक डेम निर्माण	100	25 हे०		0.8 मा.दि.	60	21720	अनुमानित
	कट्टर ट्रेच विन्दाकन	2000	25 हे०		0.15 मा.दि.	300	108600	अनुमानित
	कट्टर ट्रेच निर्माण 30.00X0.45 मीटर	2000	25 हे०		0.33 मा.दि.	660	238920	अनुमानित
						कुल योग	18711	6773551

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

Asst

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

वृक्षारोपण हेतु आई.एस.पी. कालिसिंध फेस ।। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) कुल क्षेत्रफल 25.48 हेक्टेयर कार्ययोग्य 25 हेक्टेयर गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण

क्षेत्रफल 25 ha. घेराव 25.48 ha.
मा.दि. 362 रू.

क्षेत्र तैयारी प्रथम वर्ष 2022-23 फेसिंग कार्य

क्र.	वन संरक्षक जॉब दर्जे	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा (हे. / कि.ग्रा. / र. मी. / घ.मी. में)		जाबदार मानव दिवस में		दर प्रति (हे./कि.ग्रा./र.मी./घ.मी. में / रूपय में)		राशि
4	एल.यु.एन.	प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र फेसिंग कार्य	3200	r.m					0
	एल.यु.एन.	1- आर.सी.सी. पोल्स क्रय ऊंचाई 1.8 मीटर 2.5 मीटर स्पेस (1280+10 प्रतिशत स्पेसिंग पोल+10 प्रतिशत टूटफूट = 1536 पोल)	1536	No	0	0	285	रू. प.नग	437760
	एल.यु.एन.	2- बारबेड वायर क्रय 3200 X 2= 6400 mm/6 = 1067 kg (6 m = 1k.g.)	1067	kg	0	0	85	रू प्र किग्रा	90667
	एल.यु.एन.	3- चैनलिक जाली कय (3200 मी. x 1.50 = 4800 वर्ग मीटर)	4800	sqm	0	0	150	रू प्र.व.मी	720000
	2014	4- फेसिंग हेतु गड़दा एलाईजमेंट, कार्य संख्या में	1536	No	2.5	मा दि प्र हजार	905	रू प्र हजार	1390
	2014 भाग -1/5	5- फेसिंग हेतु गड़दा खुदाई कार्य संख्या में (0.30X0.30X0.45 m)	1536	No	3.8	मा दि प्र से	13.756	रू प्र से	21129
6		सीमेन्ट पोल फिक्सिंग कार्य							
	PWD SOR NO. 4.8.2.4 page 47	1- सीमेन्ट पोल गाड़ना सीमेन्ट कांक्रीट 1:2:4 के अनुपात में गड़दा साईज 30X30X45 से.मी. = 0.040 घ.मी. (-)पोल साईज 10X10X30 से.मी. = 0.003 घ.मी. प्रति पोल सीमेन्ट कांक्रीट कार्य - .0.037 घ.मी. X 1536 पोल = 56.83 घ.मी.	56.83	घ.मी.	0		5072		288252
		7- फेसिंग हेतु गड़दा में फिक्स किये पोल्स की तरी 21 दिनों तक कार्य संख्या में तथा सामग्री स्थल पर परिवहन सामग्री स्थल पर परिवहन	1536	No	2	मा दि प्र से	7.24	रू प्र से	11121
							200	मा.दि.	72400
	बाजार दर	11- चैनलिक फेसिंग एवं बारबेड वायर लगाने हेतु यूनेल्स एवं वाईडिंग वायर क्रय कि.ग्रा. में	20	kg			85	रू प्र किग्रा	1700
	2014	12- बारबेड वायर दो पक्ति में एवं चैनलिक जाली लगाना र.मी. में	3200	r.m	0.16	मा दि	57.92	रू प्र र.मी	185344
		अन्य बाजार दरों में वृद्धि आदि							487037
		महायोग							2316800

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र शाजापुर

उपवनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

Signature

योजना का द्वितीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (ला.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिपोर्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी कार्य प्रथम रोपण हेतु पीघा क्रय संख्या	25000	पीघे	0.03546	पीघा	887	320913	बाजार दर
	मृत पीघों को बदलने हेतु पीघा संख्या 20 प्रतिशत	5000	पीघे	0.03546	पीघा	177	64183	बाजार दर
2	पीघों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	30000	पीघे	1.5	सेकंड	450	162900	जॉबदर
	सिंर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	30000	पीघे	0.4	सेकंड	120	43440	जॉबदर
3	लैंटाना मापिंग अप ऑपरेशन	15	हेक्टयर	8	हेक्ट	120	43440	जॉबदर
4	रोपण							
	60x60x60 cm.	25000	गड्डे	2	सेकंड	500	181000	जॉबदर
5	प्रथम निदाई							
	पीघों में	25000		1.25	सेकंड	313	113125	जॉबदर
6	द्वितीय निदाई							
	पीघों में	25000		1	सेकंड	250	90500	जॉबदर
7	तृतीय निदाई							
	पीघों में	25000		1	सेकंड	250	90500	जॉबदर
8	खाद, एच कीटनाशक दवा डलवाई	25000		0.6	प्रती	150	54300	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	8 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	4851	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह		1x9			270	97740	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	25000	गड्डे		Lumsum	1000	362000	अनुमानित
12	अन्य व्यय (बीज क्रय एवं बुआई, कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	72400	अनुमानित
योग-						4722	1709436	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

योजना का तृतीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	शुद्धि	रिचार्ज
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पीछों के पुनरोपण हेतु)	2500	पीछे	0.03546	पीछा	89	32091	बाजार दर
2	पीछों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	2500		1.5	सेकड़ा	37.5	13575	जीबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	2500		0.4	सेकड़ा	10	3620	जीबदर
3	चेनलिक फॉरिंग गरममत कार्य (मीटर)	3200				100	36200	अनुमानित
4	प्रथम निदाई							
	पीछों में	25000	गड्डे	1.25	सेकड़ा	312.5	113125	जीबदर
5	द्वितीय निदाई							
	पीछों में	25000	गड्डे	1	सेकड़ा	250	90500	जीबदर
6	तृतीय निदाई							
	पीछों में	25000	गड्डे	1	सेकड़ा	250	90500	जीबदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	25000	गड्डे	0.6	सेकड़ा	150	54300	जीबदर
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	4851	जीबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जीबदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		माह			360	130320	अनुमानित
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	25000	गड्डे		Lumsum	6000	362000	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि)					200	72400	अनुमानित
			योग-			2795	1011627	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

Agri

योजना का चतुर्थ वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (गादि)		कुल मानव दिवस	शक्ति	विमांक
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	2500		0.03546	प्रति पौधा	89	32091	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	2500		1.5	सैकड़ा	37.5	13575	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	2500		0.4	सैकड़ा	10	3620	जॉबदर
3	प्रथम निदाई							
	पौधों में	25000		1.25	सैकड़ा	312.5	113125	जॉबदर
4	द्वितीय निदाई							
	पौधों में	25000		1	सैकड़ा	250	90500	जॉबदर
5	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	25000		0.6	सैकड़ा	150	54300	जॉबदर
6	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	4851	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
7	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		माह			360	130320	अनुमानित
8	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	25000	गड्ढे		Lumsum	1000	362000	अनुमानित
9	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	72400	अनुमानित
योग:-						2445	884927	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन-मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

(असिफिता)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	3200				100	36200	अनुमानित
2	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	25000		1.25	100	313	113125	जॉबदर
3	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	25000		1	100	250	90500	जॉबदर
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	25000		0.6	सैकड़	150	54300	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
5	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	4850.8	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह					अनुमानित
						360	130320	
7	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग-					1258	455541	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी

वन मंडल शाजापुर (सा.)

A. Singh

योजना का षष्ठम वर्ष

(अतिरिक्त)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	शिवका
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	4851	जोबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जोबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग-					446	161416	

योजना का सप्तम वर्ष

(अतिरिक्त)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	शिवका
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	4851	जोबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जोबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग-					446	161416	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

योजना का अष्टम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	सिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	4851	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग-					446	161416	

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	सिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	4851	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग-					446	161416	

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	सिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	4851	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग-					446	161416	

योजना का ग्यारवा वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	सिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	4851	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग-					446	161416	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

गोश्वारा, आदर्श रोपण

वर्ष	प्रस्तावित राशि	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	राशि
प्रथम	6673551	1	6673551
द्वितीय	1709436	1.06	1812002
तृतीय	1011627	1.1236	1136664
चतुर्थ	884927	1.191	1053948
पंचम	455541	1.2625	575121
षष्ठम	161416	1.3382	216007
सप्तम	161416	1.4185	228969
अष्टम	161416	1.504	242770
नवम	161416	1.594	257297
दशम	161416	1.69	272793
ग्यारवा	161416	1.79	288935
कुल योग			12758056
			510322

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आई.एस.पी. कालिसिंध फेस ।। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) कुल क्षेत्रफल 25.48 हैक्टेयर कार्ययोग्य 25 हैक्टेयर गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण

व्यय प्राक्कलन गोशवारा अनुसार

क्र	कार्य का नाम	प्रावधानित राशि
1	वानिकी कार्यों की प्रस्तावित राशि	12758056
2	आस्थामलक कार्य 5 प्रतिशत	637903
3	मानव संसाधन विकास 1 प्रतिशत	127581
4	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण 4 प्रतिशत	510322
	योग	14033861
5	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत	1403386
	महायोग	15437247


617490

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

23° 41' 10" N
 23° 41' 15" N
 23° 41' 20" N
 23° 41' 25" N
 23° 41' 30" N
 23° 41' 35" N
 23° 41' 40" N
 23° 41' 45" N
 23° 41' 50" N



KADULA COO	
KHASRA 2243/3,	
SNO	LATITUD
1	23° 41' 50.38
2	23° 41' 35.21
3	23° 41' 25.35
4	23° 41' 23.02
5	23° 41' 18.86
6	23° 41' 20.90
7	23° 41' 17.44
8	23° 41' 11.02
9	23° 41' 26.63
10	23° 41' 41.24
11	23° 41' 41.71
12	23° 41' 41.14
13	23° 41' 45.34
14	23° 41' 48.05

**आदेश द्वारा कमलिका मोहंता (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन**

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/मा.चि./2021/ 39

उज्जैन, दिनांक. 07/09/2021

प्रकरण अन्तर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. /एफ-3/102/2021/10-11/16/2548 दिनांक 29-07-2021 एवं 2568 दिनांक 29-07-2021 से दिये गये निर्देशानुसार वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./2021/2406 दिनांक 12-08-2021 से जिला खण्डवा एवं जिला देवास के अन्तर्गत आई.एस.पी. कालीसिंघ लिंक प्रोजेक्ट फेस-2 के निर्माण हेतु 147.09 हे. (वनमण्डल खण्डवा की 46.989 हे. एवं वनमण्डल देवास की 100.101 हे.) वनभूमि कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रं. 20 मण्डलेश्वर को उपयोग पर देने के प्रकरण में जिला कलेक्टर शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-19(3)/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 02-07-2021 से 151.220 हे. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित गैर वनभूमि में वृक्षारोपण कार्य के 11 वर्षीय प्रस्ताव तैयार कर निम्नानुसार प्रेषित किये हैं।

क्रं.	परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा (हे. मे)	योजना की राशि (लाख मे)
1	शाजापुर	मोहन बड़ोदिया	माल्याहेड़ी	939, 941	13.44	85.29

म.प्र. बुक ऑफ फायनेशनल पॉवर 2012 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 14-बी में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर को कैम्पा मद अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित गैर वनभूमि में वृक्षारोपण हेतु उपरोक्त क्षेत्र में तालिका में दर्शित प्रस्तावित राशि की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है :-

- 1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरों निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानों के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
- 2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
- 3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के झाप क्र./डी. /3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक-एफ-03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।
- 4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।
- 5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्डार नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' में सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई-मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रु. 1.00 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावे।
- 6) फेंसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इन्द्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

- 7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्डलाधिकारी/उपवनमण्डलाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्डलाधिकारी, 50% उपवनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।
- 8) वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।
- 9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- 10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।
- 11) वनमण्डलाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नही कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नही होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नही है तो उस स्थल पर कार्य नही कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।
- 12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को भेजा जावे।
- 13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।
- 14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।
- 15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13-11-2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी मे चस्पा किया जावे।
- 16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यों की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।
- 17) किये गये कार्यों की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई-ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal मे समय-समय पर की जावे।
- 18) वनमण्डलाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करेगें।
- 19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।
- 20) स्वीकृत राशि से अधिक व्यय न किया जावे। वास्तविक व्यय अथवा स्वीकृत राशि, जो भी कम हो, को मान्य किया जावेगा।
- 21) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
- 22) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
- 23) भारत सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा कोविड-19 की महामारी के संबध मे समय-समय पर जारी निर्देशो तथा Social Distancing एवं अन्य सावधानियों का पूर्ण पालन, कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान सुनिश्चित करें।
- 24) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होने के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अंतिम रूप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(कमलिका मोहंता)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2021/ 5910
प्रतिलिपि :-

उज्जैन, दिनांक 07/09/2021

- 1) महालेखाकार, (ऑडिट) ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर की ओर उनके पत्र क्रमांक/माचि/2021/ 2406 दिनांक 12-08-2021 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

(कमलिका मोहंता)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

परियोजना का नाम :- आई.एस.पी. कालिसिंध फेस ।। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन)

क्षेत्रफल :- माल्याहेड़ी वैकल्पिक वृक्षारोपण (कुल 13.44 हे. कार्ययोग्य 13 हे.)

वनमण्डल का नाम :- शाजापुर वनमण्डल

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- आई.एस.पी. कालिसिंध फेस ।। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) से प्रभावित 147.09 हैक्टेयर वन भूमि के बदले 151.200 हैक्टेयर (कुल 151.200 हे. कार्ययोग्य 148 हे.) गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण
2. माल्याहेड़ी वैकल्पिक वृक्षारोपण (कुल 13.44 हे. कार्ययोग्य 13 हे.)
3. जिला :- शाजापुर
4. वनमण्डल :- शाजापुर
5. परिक्षेत्र :- शाजापुर
6. तहसील :- मोहन बड़ोदिया
7. ग्राम पंचायत :- माल्याहेड़ी.
8. बीट का नाम :- मो.बड़ोदिया
9. खसरा क्रमांक :- 739, 741
10. ग्राम वन समिति/ वन सुरक्षा समिति का नाम :- ग्राम वन समिति माल्याहेड़ी
11. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :- -
12. मिट्टी का प्रकार :- मुरमी
13. साईट क्वालिटी :- -

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 13000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
बांस	0	1.5 से 2 वर्ष	45 से.मी.	3 से 5 से.मी.
चिरोल	5000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
नीम	5000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
आंबला	1000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
अन्य	2000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
योग-	13000			


3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर 45 से.मी. गहरे तथा 45 से.मी. चौड़े तथा 3 मीटर लम्बाई में कंटूर ट्रेंच बनाये जायेंगे। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थलों पर कंटूर बण्ड का निर्माण किया जायेगा। क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर से नाला बंधान का कार्य किया जायेगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिक फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।
5. पुर्नउत्पादन सफाई :- क्षेत्र में किये गये ठूठ ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा। क्षेत्र में बिरलन कार्य कार्ययोजना में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. बीज बुआई :- क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच से निकली मिट्टी एवं खुदाई के गद्दों के आसपास जहां संभव होगा उपयुक्त प्रजाति के बीजों की बुआई की जावेगी।

7. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैण्डाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत छट्ठे वर्ष तक प्रति वर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। सातवें वर्ष में 2 बार तथा आठवें वर्ष में 1 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।
8. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
9. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-


परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र शाजापुर


उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल शाजापुर


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल शाजापुर

म०प्र० शासन

वन विभाग

वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना

परियोजना का नाम	आई.एस.पी. कालिसिंधु फेस ॥ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) से प्रभावित 147.09 हैक्टेयर वन भूमि के बदले 151.200 हैक्टेयर (कुल 151.200 हे. कार्ययोग्य 148 हे.) गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण
क्षेत्रफल	— (कुल 13.44 हे. कार्ययोग्य 13 हे.)
कार्य योग्य	— (कुल 13.44 हे. कार्ययोग्य 13 हे.)
स्थल	— ग्राम माल्याहेड़ी खसरा 739, 741
तहसील	— मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर
परिसर	— मो.बड़ोदिया
समिति	— ग्राम वन समिति माल्याहेड़ी
वन परिक्षेत्र	— शाजापुर
तहसील	— मो.बड़ोदिया
उप वनमण्डल	— शाजापुर
वनमण्डल	— शाजापुर (सा०)
विधान सभा क्षेत्र	— शाजापुर
जिला	— शाजापुर म०प्र०
परियोजना अवधि	— 2022-2023 से 2033-2034

वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना

खसरा नंबर 739, 741 ग्राम माल्याहेड़ी, तह. मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर

भाग-1

1- परियोजना का विवरण

(अ) परियोजना का नाम

: आई.एस.पी. कालिसिंध फेस II सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) से प्रभावित 147.09 हैक्टेयर वन भूमि के बदले 151.200 हैक्टेयर (कुल 151.200 हे. कार्ययोग्य 148 हे.) गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण

(ब) भारत सरकार का प्रस्ताव

: क्रमांक FP/MP/IRRIG/139995/2021

(स) प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण

: 147.09 हे०

1. प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल

: खसरा नंबर 739, 741 ग्राम माल्याहेड़ी, तह. मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर

2. जिला

: शाजापुर

3. वनमण्डल

: शाजापुर (सा०)

4. परिक्षेत्र

: शाजापुर

5. तहसील

: मो.बड़ोदिया

6. विकासखण्ड

: मो.बड़ोदिया

7. विधानसभा क्षेत्र

: शाजापुर

8. ग्राम पंचायत

: माल्याहेड़ी

9. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त

: शाजापुर

10. क्षेत्रीय परिसर बीट

: मो.बड़ोदिया

2- स्थल विशेष जानकारी

1. वन समिति

: ग्राम वन समिति, माल्याहेड़ी

2. वनखण्ड एवं कक्ष क्रमांक

: -

3. कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हे०)

: -

4. कार्यवृत्त

: -

5. उपचार श्रेणी/पातन श्रेणी

: -

6. उपचार ईकाई/कूप क्रमांक

: -

7. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी

: 30 कि०मी०

8. कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी : निरंक

वर्ष	योजना	क्षेत्रफल	वर्तमान स्थिति
1	निरंक	-	-

9. प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण :

ए. योजना

: निरंक

बी. वर्ष

: निरंक

सी. क्षेत्रफल

: निरंक

डी. प्रजाति

: प्रजाति - निरंक, पौधे संख्या - निरंक

ई. वृक्षारोपण असफलता का कारण :

: पूर्व में कोई रोपण कार्य नहीं किया

- एफ. वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण
 10. गाठित समिति का प्रकार
 11. समिति का मुख्यालय
 12. समिति में सम्मिलित गांव
 13. समिति के अध्यक्ष का नाम
 14. परिसर रक्षक / वनरक्षक का नाम
 15. परिक्षेत्र सहायक का नाम
 16. समिति के सदस्यों की जानकारी -

गया है।

निरंक

ग्राम वन समिति माल्याहेड़ी
 माल्याहेड़ी

श्री संजय चौहान, वनरक्षक

श्री अशोक सिंह बघेल, वनपाल

महिला :-

पुरुष :-

कुल :-

3- उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)

ए. टोपोग्राफी

बी. एस्पेक्ट

सी. ढलान

(अ) पानी निकासी

(ब) भू-क्षरण

डी. भौमिकीय

शैल(चट्टानें)

ई. मिट्टी का प्रकार

एफ. औसत वर्षा

जी. नरम मिट्टी का क्षेत्र

एच. कड़ी मिट्टी का क्षेत्र

आई. पथरीलि मिट्टी

से डिग्री

4- वन क्षेत्र का विवरण :-

ए. वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण :

वृक्षों की जानकारी -

प्रजाति	20 से 0मी० तक की सीधी एवं स्थापित पौधे	21 से 0मी० से अधिक के वृक्ष
सागौन	0	0
अन्य	0	0
योग	0	0

बी. साईट क्वालिटी घनत्व

सी. पूर्ण वन वर्धन (Root stock Development)

ठूठ एवं गोलाई की गणना

प्रजाति	गोलाई वर्ग						
	20 से. मी. तक आडी- टेडी पौध	21 से 30 से०मी०	31 से 45 से०मी०	46 से 60 से०मी०	61 से 90 से०मी०	91 से 120 से०मी०	120 से०मी० से उपर
सागौन		0	0	0	0	0	0
मिश्रित		0	0	0	0	0	0
योग		0	0	0	0	0	0

डी. आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र

ई. आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र

हे०


13 हे०


एफ. खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना)	:	10 हे०
जी. पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:	13 हे०
एच. चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:	निरंक
आई. विकृत बांस का क्षेत्र	:	निरंक
जे. क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला	:	निरंक
के. प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य)	:	निरंक
एल. जैविक दबाव :-		


	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्यप्राणी	—	औसत	—
चराई	—	औसत	—
मानव	—	औसत	—

5- 1. योजना का उद्देश्य	:	प्रत्यावर्तित वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण कर वनक्षेत्र को वनाच्छादित करना तथा मजदूरों को राजगार उपलब्ध कराना।
2. क्षेत्रफल	:	13 हे०
3. क्षेत्र की बाहरी सीमा की लम्बाई	:	2000 र.मी.
4. प्रस्तावित फेंसिंग	:	2000 र.मी.
6- उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण		
कट बैंक का क्षेत्रफल	:	00.0 हे०
वृक्षारोपण का क्षेत्र	:	13 हे०
भू-संरक्षण का क्षेत्र	:	13 प्रतिशत
लेन्टाना	:	10 हेक्टेयर
7- रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किये जावेंगे	:	
8- रोपणी से रोपण स्थल की दूरी	:	120 कि०मी०
ए. ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	:	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा
बी. सिरबोझ द्वारा	:	सिरबोझ द्वारा
9- सिंचाई का विवरण		
ए. जल स्रोत	:	नहीं
बी. वृक्षारोपण से दूरी	:	
सी. सिंचाई प्रकार	:	टैंकर एवं मजदूरों द्वारा
डी. बिजली उपलब्धता	:	है
10- प्रति हेक्टर पौधों की संख्या :-		
ए. प्रति हेक्टर सी०बी०ओ० से प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या	:	—
बी. क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (20 से०मी० से अधिक)	:	00
सी. क्षेत्र में सीधी एवं स्थापित पौधे (20 से०मी० गोलाई से कम)	:	00
डी. रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या (न्यूनतम 1000 पौधे प्रति हेक्टर) कुल	:	13000
11- योजना की अवधि	:	2022-23 से 2033-2034 तक

- 12- (1) योजना पर होने वाला
संभावित व्यय : 8529093/-
(विस्तृत प्राकलन एवं उपचार मानचित्र
पृथक से संलग्न है)
(2) प्रति हेक्टर व्यय : 656084/-
- 13- अन्य विवरण


उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल शाजापुर (सा.)



वन परिक्षेत्राधिकारी
शाजापुर (सा.)


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर



प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल खसरा नंबर 739, 741 ग्राम माल्याहेड़ी तहसील मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर के क्षेत्र 13 हैक्टेयर (कुल 13.44 हे. कार्य योग्य 13 हे.) का मेरे द्वारा दिनांक 15/7/21 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
शाजापुर (सा.)



प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल खसरा नंबर 739, 741 ग्राम माल्याहेड़ी तहसील मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर के क्षेत्र 13 हैक्टेयर (कुल 13.44 हे. कार्य योग्य 13 हे.) का मेरे द्वारा दिनांक 25/12/21 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मंडल शाजापुर (सा.)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल खसरा नंबर 739, 741 ग्राम माल्याहेडी तहसील मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर के क्षेत्र 13 हैक्टेयर (कुल 13.44 हे. कार्य योग्य 13 हे.) का मेरे द्वारा दिनांक 14.7.21 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।


प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक : 14.7.21


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 39 दिनांक 07/09/2021 द्वारा जारी की गई।


मुख्य वन संरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल - 13.44 हेक्टेयर)

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

ग्राम : तहसील : जिला :
 मान्यार्हदी मो. बडोदिया राजापुर रकबा

13

हेक्टेयर

कुल रकबा 13.44 हे. एवं कार्ययोग्य 13 हे.

(असिंचित)

मा.दि. दर

362

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
 संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रशि	टिप्पण	
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई				
1	सर्वे एवं सीमांकन हेतु	13.44	ha	0.45	प्रति हे०	6	2189	जीबदर	
2	पक्के मुनारों का निर्माण	20	मुनारा	16	मुनारा	320	115840	गणना के आधार पर	
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्ट.	13	ha	1.00	-	13	4706	अनुमानित	
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	13	ha	4.00	प्रति हे०	52	18824	जीबदर	
5	लेव्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	10	ha	12.50	प्रति हेक्ट	125	45250	जीबदर	
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 13.44 हे. में 1.8 मी. ऊंची, 75*mm X 75 mm की मेरा साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गडकों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रिट से भरा जायेगा। विवरण संलग्न है।	2000		2	Rmt	4000	1448000	गणना के आधार पर	
8	गडदा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	13000	गडडे	2.5	प्रति हजार	33	11765	जीबदर	
7	रोपण हेतु गडदा खोदाई संख्या 60x60x60 cm.	13000	गडडे	5	प्रति रोकडा	650	235300	जीबदर	
8	गडदों में मिट्टी बदलने हेतु कचरे आयतन का प्रतिशत	1404	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	2106	762372	बाजार दर	
9	गोबर खाद डालने हेतु कचरे आयतन का प्रतिशत	702	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	2106	762372	बाजार दर	
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गडदों में डालना	13000	गडडे	1.5	100	195	70590	जीबदर	
11	2 हट निर्माण		L.S.			240	86880	अनु. नित	
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					200	72400	अनु. नित	
13	भू-जल संरक्षण कार्य								
	बोल्डर चेक डेम निर्माण	200	13 हे०		1 मा.दि.	200	72400	अनु. नित	
	अर्देन चेक डेम निर्माण	50	13 हे०		0.6 मा.दि.	30	10860	अनु. नित	
	कट्टर ट्रेच सिन्हाकन	1000	13 हे०		0.15 मा.दि.	150	54300	अनु. नित	
	कट्टर ट्रेच निर्माण 30.00X0.45 मीटर	1000	13 हे०		0.33 मा.दि.	330	119460	अनु. नित	
						कुल योग	10756	3893508	

उपवनमंडलाधिकारी
 ,शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
 वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
 ,शाजापुर (सा.)

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

वृक्षारोपण हेतु आई.एस.पी. कालिसिंध फेस ।। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) कुल क्षेत्रफल 13.44 हैक्टेयर कार्ययोग्य 13 हैक्टेयर गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण

क्षेत्रफल 13 ha. घेराव 13.44 ha.
क्षेत्र तैयारी प्रथम वर्ष 2022-23 फेसिंग कार्य मा.दि. 362 रु.

क्र.	वन संरक्षक जाँच दरें	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा (हे. / कि.ग्रा. / र. मी. / घ.मी. में)	जाबदार मानव दिवस में	दर प्रति (हे. / कि.ग्रा. / र.मी. / घ.मी. में / रूपय में)	राशि	
4	एल.यु.एन.	प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र फेंसिंग कार्य	2000 r.m			0	
	एल.यु.एन.	1- आर.सी.सी. पोल्स क्रय ऊंचाई 1.8 मीटर 2.5 मीटर स्पेस (800+10 प्रतिशत स्पॉटिंग फोल+10 प्रतिशत टूटफूट = 960 फोल)	960 No	0	0	285 रु. घ.मग	273600
	एल.यु.एन.	2- बारबेड वायर क्रय 2000 X 2= 4000 mm/6 = 667 kg (8 m = 1k.g)	667 kg	0	0	85 रु प्र किग्रा	56867
	एल.यु.एन.	3-चेनलिक जाली क्रय (2000 मी. x 1.50 = 3000 वर्ग मीटर)	3000 sqm	0	0	150 रु प्र वमी	450000
2014		4- फेंसिंग हेतु गड़दा एलाईजमेंट कार्य संख्या में	960 No	2.5	मा दि प्र हजार	905 रु प्र हजार	869
2014माग -1/5		5-फेंसिंग हेतु गड़दा खुदाई कार्य संख्या में (0.30X0.30X0.45 m)	960 No	3.8	मा दि प्र से	13.756 रु प्र से	13208
6		सीमेंट पोल फिक्सिंग कार्य	210				
PWD SOR NO. 4.8.2.4 page 47		1- सीमेंट पोल गाड़ना सीमेंट कांक्रीट 124 के अनुपात में गड़दा साईज 30X30X45 से मी. = 0.040 घ.मी. (-)पोल साईज 10X10X30 से मी. = 0.003 घ.मी. प्रति पोल सीमेंट कांक्रीट कार्य - 0.037 घ.मी. X 1296 पोल = 35.52 घ.मी.	35.52 घ.मी.	0		5072	180157
		7-फेंसिंग हेतु गड़दा में फिक्स किये पोल्स की तरी 21 दिनों तक कार्य संख्या में तथा सामग्री स्थल पर परिवहन सामग्री स्थल पर परिवहन	960 No	2	मा दि प्र से	7.24 रु प्र से	6950
					100	मा.दि.	36200
बाजार दर		11-चेनलिक फेंसिंग एवं बारबेड वायर लगाने हेतु यूनेल्स एवं वाईडिंग वायर क्रय कि.ग्रा. में	20 kg			85 रु प्र किग्रा	1700
2014		12- बारबेड वायर दो पवित में एवं चेनलिक जाली लगाना र.मी. में	2000 r.m	0.16	मा दि	57.92 रु प्र रमी	115840
		अन्य बाजार दरों में वृद्धि आदि					312811
		महायोग					1448000

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र शाजापुर

उपवनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

योजना का द्वितीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मादि)		कुल मानव दिवस	राशि	विभागी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	रोपणी कार्य							
1	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	13000	पौधे	0.03546	पौधा	461	166875	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	2600	पौधे	0.03546	पौधा	92	33375	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	15600	पौधे	1.5	सैकड़ा	234	84708	जीबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	15600	पौधे	0.4	सैकड़ा	62.4	22589	जीबदर
3	लेटाना मापिंग अप आपरेशन	10	हेक्टेयर	8	हेक्ट	80	28960	जीबदर
4	रोपण							
	60x60x60 cm.	13000	गड्डे	2	सैकड़ा	260	94120	जीबदर
5	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	13000		1.25	सैकड़ा	162.5	58825	जीबदर
6	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	13000		1	सैकड़ा	130	47060	जीबदर
7	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	13000		1	सैकड़ा	130	47060	जीबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	13000		0.6	प्रति	78	28236	जीबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
9	8 मीटर चौड़ी	2000	mtr	3.35	किमी	7	2425	जीबदर
	3 मीटर चौड़ी	4000	mtr	2.25	किमी	9	3258	जीबदर
10	सुरक्षा श्रमिक 9 माह		1x9			270	97740	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	13000	गड्डे		Lumsum	1000	362000	अनुमानित
12	अन्य व्यय (बीज क्रय एवं सुआई, कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	72480	अनुमानित
					योग-	3176	1149631	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

योजना का तृतीय वर्ष

(असिंचित)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मात्रा/दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	1300	पौधे	0.03546	पौधा	46	16687	बाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
2	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	1300		1.5	सैकड़ा	19.5	7059	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	1300		0.4	सैकड़ा	5.2	1882	जॉबदर
3	घेनलिक फॉरमिग गरम्मात कार्य (मीटर)	2000				100	36200	अनुमानित
4	प्रथम निदाई							
	पौधों में	13000	गड्डे	1.25	सैकड़ा	162.5	58825	जॉबदर
5	द्वितीय निदाई							
	पौधों में	13000	गड्डे	1	सैकड़ा	130	47060	जॉबदर
6	तृतीय निदाई							
	पौधों में	13000	गड्डे	1	सैकड़ा	130	47060	जॉबदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	13000	गड्डे	0.6	सैकड़ा	78	28236	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
8	6 मीटर चौड़ी	2000	mtr	3.35	किमी	7	2425	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	4000	mtr	2.25	किमी	9	3258	जॉबदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		माह			360	130320	अनुमानित
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	13000	गड्डे		Lumsum	1000	362000	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक-खाद आदि)					-100	36200	अनुमानित
	योग-					2147	777213	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

Asins

योजना का चतुर्थ वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रती इकाई (रा.दि.)		कुल मान्य दिवस	उत्ति	विवरण
		मात्रा	इकाई	मान्य दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	1300		0.03546	प्रति पौधा	46	16687	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	1300		1.5	सैकड़ा	19.5	7059	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	1300		0.4	सैकड़ा	5.2	1882	जॉबदर
3	प्रथम निदाई							
	पौधों में	13000		1.25	सैकड़ा	162.5	58825	जॉबदर
4	द्वितीय निदाई							
	पौधों में	13000		1	सैकड़ा	130	47060	जॉबदर
5	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	13000		0.6	सैकड़ा	78	28236	जॉबदर
6	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	8 मीटर चौड़ी	2000	mtr	3.35	किमी	7	2425	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	4000	mtr	2.25	किमी	9	3258	जॉबदर
7	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक					360	130320	अनुमानित
8	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	13000	गड्डे		Lumsum	800	280600	अनुमानित
9	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					100	36200	अनुमानित
	योग-					1717	621553	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन-मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

Asst

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	वेनलिक फेसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	2000				100	36200	अनुमानित
2	प्रथम निदाई							
	पौधों में	13000		1.25	100	163	58825	जीबंदर
3	द्वितीय निदाई							
	पौधों में	13000		1	100	130	47060	जीबंदर
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	13000		0.6	सैकड़ों	78	28236*	जीबंदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
5	6 मीटर चौड़ी	2000	मीटर	3.35	किमी	7	2425.4	जीबंदर
	3 मीटर चौड़ी	4000	मीटर	2.25	किमी	9	3258	जीबंदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा- 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
7	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग-					896	324424	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

Asingh

योजना का षष्ठम वर्ष

(अंशित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मान्य दिवस	राशि	निर्माक
		मात्रा	इकाई	मान्य दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	2000	मीटर	3.35	किमी	7	2425	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	4000	मीटर	2.25	किमी	9	3258	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग-					426	154103	

योजना का सप्तम वर्ष

(अंशित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मान्य दिवस	राशि	निर्माक
		मात्रा	इकाई	मान्य दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	2000	मीटर	3.35	किमी	7	2425	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	4000	मीटर	2.25	किमी	9	3258	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग-					426	154103	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

योजना का अष्टम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	2000	mtr	3.35	किमी	7	2425	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	4000	mtr	2.25	किमी	9	3258	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग-					426	154103	

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	2000	mtr	3.35	किमी	7	2425	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	4000	mtr	2.25	किमी	9	3258	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग-					426	154103	

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	2000	mtr	3.35	किमी	7	2425	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	4000	mtr	2.25	किमी	9	3258	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग-					426	154103	

योजना का ग्यारवा वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	2000	mtr	3.35	किमी	7	2425	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	4000	mtr	2.25	किमी	9	3258	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग-					426	154103	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

गोश्वारा, आदर्श रोपण

वर्ष	प्रस्तावित राशि	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	राशि
प्रथम	3893508	1	3893508
द्वितीय	1149631	1.06	1084558
तृतीय	777213	1.1236	691717
चतुर्थ	621553	1.191	521875
पंचम	324424	1.2625	256970
षष्ठम	154103	1.3382	115157
सप्तम	154103	1.4185	108638
अष्टम	154103	1.504	102462
नवम	154103	1.594	96677
दशम	154103	1.69	91185
ग्यारवा	154103	1.79	86091
कुल योग			7042837

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आई.एस.पी. कालिसिंध फेस ॥ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) कुल क्षेत्रफल 13.44 हेक्टेयर कार्ययोग्य 13 हेक्टेयर गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण

व्यय प्राक्कलन गोशवारा अनुसार

क्र	कार्य का नाम	प्राक्घानित राशि
1	वानिकी कार्यो की प्रस्तावित राशि	7048837
2	आस्थामलंक कार्य 5 प्रतिशत	352442
3	मानव संसाधन विकास 1 प्रतिशत	70488
4	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण 4 प्रतिशत	281953
	योग	7753721
5	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत	775372
	महायोग	8529093

नं. 656084

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी

वन मंडल शाजापुर (सा.)

704

35

70

28

775

775

1352

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775


775

775

775

THASIL MOHANBADODIYA, VILLAGE NAME MALYAHEDI

CA TREATMENT MAP



MALYAHEDI CO

KHASR

SNO	LATITUD
1	23° 42' 32.23
2	23° 42' 31.78
3	23° 42' 29.38
4	23° 42' 22.00
5	23° 42' 13.33
6	23° 42' 12.77
7	23° 42' 15.71
8	23° 42' 16.80
9	23° 42' 18.11
10	23° 42' 19.31
11	23° 42' 19.80
12	23° 42' 20.63
13	23° 42' 21.50
14	23° 42' 22.88
15	23° 42' 23.92
16	23° 42' 27.00
17	23° 42' 28.30
18	23° 42' 30.34
19	23° 42' 30.90



**आदेश द्वारा कमलिका मोहंता (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन**

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/मा.वि./2021/ 40

उज्जैन, दिनांक.07/09/2021

प्रकरण अन्तर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. /एफ-3/102/2021/10-11/16/2548 दिनांक 29-07-2021 एवं 2568 दिनांक 29-07-2021 से दिये गये निर्देशानुसार वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक/मा.वि./2021/2406 दिनांक 12-08-2021 से जिला खण्डवा एवं जिला देवास के अन्तर्गत आई.एस.पी. कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट फेस-2 के निर्माण हेतु 147.09 हे. (वनमण्डल खण्डवा की 46.989 हे. एवं वनमण्डल देवास की 100.101 हे.) वनभूमि कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रं. 20 मण्डलेश्वर को उपयोग पर देने के प्रकरण में जिला कलेक्टर शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-19(3)/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 02-07-2021 से 151.220 हे. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित गैर वनभूमि में वृक्षारोपण कार्य के 11 वर्षीय प्रस्ताव तैयार कर निम्नानुसार प्रेषित किये हैं।

क्रं.	परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा (हे. मे)	योजना की राशि (लाख मे)
1	शाजापुर	मोहन बड़ोदिया	बाण्डाहेड़ी	103, 313,435	28.00	199.99

म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2012 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 14-बी में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर को कैम्पा मद अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित गैर वनभूमि में वृक्षारोपण हेतु उपरोक्त क्षेत्र में तालिका में दर्शित प्रस्तावित राशि की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है :-

- 1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दर निर्धारित नामर्स एवं बजट प्रावधानों के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
- 2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
- 3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी /3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक-एफ-03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।
- 4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।
- 5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्डार नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' में सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई-मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रू. 1.00 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावे।
- 6) फेंसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंड्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

- 7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्डलाधिकारी/उपवनमण्डलाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्डलाधिकारी, 50% उपवनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।
- 8) वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जाये।
- 9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- 10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।
- 11) वनमण्डलाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नहीं कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नहीं है तो उस स्थल पर कार्य नहीं कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।
- 12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजा जावे।
- 13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।
- 14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।
- 15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13-11-2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी में चस्पा किया जावे।
- 16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यों की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।
- 17) किये गये कार्यों की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई-ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal में समय-समय पर की जावे।
- 18) वनमण्डलाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।
- 20) स्वीकृत राशि से अधिक व्यय न किया जावे। वास्तविक व्यय अथवा स्वीकृत राशि, जो भी कम हो, को मान्य किया जावेगा।
- 21) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
- 22) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
- 23) भारत सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा कोविड-19 की महामारी के संबन्ध में समय-समय पर जारी निर्देशों तथा Social Distancing एवं अन्य सावधानियों का पूर्ण पालन, कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान सुनिश्चित करें।
- 24) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होने के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अंतिम रूप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(कमलिका मोहता)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2021/ 5911
प्रतिलिपि :-

उज्जैन, दिनांक. 07/08/2021

- 1) महालेखाकार, (ऑडिट) ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर की ओर उनके पत्र क्रमांक/माचि/2021/2406 दिनांक 12-08-2021 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

(कमलिका चौहंता)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

परियोजना का नाम :- आई.एस.पी. कालिसिंध फेस ।। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन)

क्षेत्रफल :- बाण्डाहेड़ी वैकल्पिक वृक्षारोपण (कुल 28 हे. कार्ययोग्य 27 हे.)

वनमण्डल का नाम :- शाजापुर वनमण्डल

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- आई.एस.पी. कालिसिंध फेस ।। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) से प्रभावित 147.09 हैक्टेयर वन भूमि के बदले 151.200 हैक्टेयर (कुल 151.200 हे. कार्ययोग्य 148 हे.) गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण
2. बाण्डाहेड़ी वैकल्पिक वृक्षारोपण (कुल 28 हे. कार्ययोग्य 27 हे.)
3. जिला :- ~~अम्बर मन्दा~~ शाजापुर
4. वनमण्डल :- शाजापुर
5. परिक्षेत्र :- शाजापुर
6. तहसील :- मोहन बड़ोदिया
7. ग्राम पंचायत :- बाण्डाहेड़ी
8. बीट का नाम :- मो.बड़ोदिया
9. खसरा क्रमांक :- 103, 313, 435
10. ग्राम वन समिति/ वन सुरक्षा समिति का नाम :- ग्राम वन समिति बाण्डाहेड़ी
11. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :- -
12. मिट्टी का प्रकार :- मुरमी
13. साईट क्वालिटी :- -

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 27000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
बांस	0	1.5 से 2 वर्ष	45 से.मी.	3 से 5 से.मी.
चिरोल	8000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
नीम	12000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
आंवला	2000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
अन्य	5000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
योग-	27000			


3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर 45 से.मी. गहरे तथा 45 से.मी. चौड़े तथा 3 मीटर लम्बाई में कंटूर ट्रेंच बनाये जायेंगे। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थलों पर कंटूर बण्ड का निर्माण किया जायेगा। क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर से नाला बंधान का कार्य क्रिया जायेगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिक फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।
5. पुर्नउत्पादन सफाई :- क्षेत्र में किये गये ठूठ ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा। क्षेत्र में बिरलन कार्य कार्ययोजना में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. बीज बुआई :- क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच से निकली मिट्टी एवं खुदाई के गढ़ों के आसपास जहां संभव होगा उपयुक्त प्रजाति के बीजों की बुआई की जावेगी।

7. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैण्टाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत छठवे वर्ष तक प्रति वर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। सातवें वर्ष में 2 बार तथा आठवें वर्ष में 1 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।
8. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
9. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-


परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र शाजापुर


उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल शाजापुर


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल शाजापुर

म0प्र0 शासन

वन विभाग

वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना

परियोजना का नाम	आई.एस.पी. कालिसिंध फेस ।। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) से प्रभावित 147.09 हैक्टेयर वन भूमि के बदले 151.200 हैक्टेयर (कुल 151.200 हे. कार्ययोग्य 148 हे.) गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण
क्षेत्रफल	— (कुल 28 हे. कार्ययोग्य 27 हे.)
कार्य योग्य	— (कुल 28 हे. कार्ययोग्य 27 हे.)
स्थल	— ग्राम बाण्डाहेडी खसरा 103, 313, 435
तहसील	— मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर
परिसर	— मो.बड़ोदिया
समिति	— ग्राम वन समिति मो.बड़ोदिया
वन परिक्षेत्र	— शाजापुर
तहसील	— मो.बड़ोदिया
उप वनमण्डल	— शाजापुर
वनमण्डल	— शाजापुर (सा0)
विधान सभा क्षेत्र	— शाजापुर
जिला	— शाजापुर म0प्र0
परियोजना अवधि	— 2022-2023 से 2033-2034

वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना

खसरा नंबर 103, 313, 435 ग्राम बाण्डाहेड़ी, तह. मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर

भाग-1

1- परियोजना का विवरण

- (अ) परियोजना का नाम : आई.एस.पी. कालिसिंध फेस II सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) से प्रभावित 147.09 हैक्टेयर वन भूमि के बदले 151.200 हैक्टेयर (कुल 151.200 हे. कार्ययोग्य 148 हे.) गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण
- (ब) भारत सरकार का प्रस्ताव : क्रमांक FP/MP/IRRIG/139995/2021
- (स) प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण : 147.09 हे०

1. प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल : खसरा नंबर 103, 313, 435 ग्राम बाण्डाहेड़ी, तह. मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर
2. जिला : शाजापुर
3. वनमण्डल : शाजापुर (सा०)
4. परिक्षेत्र : शाजापुर
5. तहसील : मो.बड़ोदिया
6. विकासखण्ड : मो.बड़ोदिया
7. विधानसभा क्षेत्र : शाजापुर
8. ग्राम पंचायत : बाण्डाहेड़ी
9. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त : शाजापुर
10. क्षेत्रीय परिसर बीट : मो.बड़ोदिया

2- स्थल विशेष जानकारी

1. वन समिति : ग्राम वन समिति, बाण्डाहेड़ी
2. वनखण्ड एवं कक्ष क्रमांक : -
3. कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हे०) : -
4. कार्यवृत्त : -
5. उपचार श्रेणी/पातन श्रेणी : -
6. उपचार ईकाई/कूप क्रमांक : -
7. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी : 30 कि०मी०
8. कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी : निरंक

वर्ष	योजना	क्षेत्रफल	वर्तमान स्थिति
1	निरंक	-	-

9. प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण :
- ए. योजना : निरंक
- बी. वर्ष : निरंक
- सी. क्षेत्रफल : निरंक
- डी. प्रजाति : प्रजाति - निरंक, पौधे संख्या - निरंक
- ई. वृक्षारोपण असफलता का कारण : पूर्व में कोई रोपण कार्य नहीं किया

- एफ. वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण
 10. गठित समिति का प्रकार
 11. समिति का मुख्यालय
 12. समिति में सम्मिलित गांव
 13. समिति के अध्यक्ष का नाम
 14. परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम
 15. परिक्षेत्र सहायक का नाम
 16. समिति के सदस्यों की जानकारी -

महिला :-

पुरुष :-

कुल :-

गया है।

निरंक

ग्राम वन समिति बाण्डाहेड़ी
 बाण्डाहेड़ी

श्री संजय चौहान, वनरक्षक

श्री अशोक सिंह बघेल, वनपाल

3- उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)

ए. टोपोग्राफी

बी. एस्पेक्ट

सी. ढलान

(अ) पानी निकासी

(ब) मू-क्षरण

डी. भौमिकीय

शैल(बट्टानें)

ई. मिट्टी का प्रकार

एफ. औसत वर्षा

जी. नरम मिट्टी का क्षेत्र

एच. कड़ी मिट्टी का क्षेत्र

आई. पथरीलि मिट्टी

4- वन क्षेत्र का विवरण :-

ए. वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण :

वृक्षों की जानकारी -

प्रजाति	20 से 0मी० तक की सीधी एवं स्थापित पौधे	21 से 0मी० से अधिक के वृक्ष
सागौन	0	0
अन्य	0	0
योग	0	0

बी. साईट क्वालिटी घनत्व

सी. पूर्ण वन वर्धन (Root stock Development)

ठूठ एवं गोलाई की गणना

प्रजाति	गोलाई वर्ग						
	20 से. मी. तक आडी- टेढ़ी पौध	21 से 30 से०मी०	31 से 45 से०मी०	46 से 60 से०मी०	61 से 90 से०मी०	91 से 120 से०मी०	120 से०मी० से उपर
सागौन		0	0	0	0	0	0
मिश्रित		0	0	0	0	0	0
योग		0	0	0	0	0	0

डी. आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र

ई. आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र

हे०


27 हे०


एफ. खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना)	: 15 हे०
जी. पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	: 27 हे०
एच. चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	: निरंक
आई. विकृत बांस का क्षेत्र	: निरंक
जे. क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला	: निरंक
के. प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य)	: निरंक
एल. जैविक दबाव :-	


	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्यप्राणी	-	औसत	-
चराई	-	औसत	-
मानव	-	औसत	-

5- 1. योजना का उद्देश्य	: प्रत्यावर्तित वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण कर वनक्षेत्र को वनाच्छादित करना तथा मजदूरों को राजगार उपलब्ध कराना।
2. क्षेत्रफल	: 27 हे०
3. क्षेत्र की बाहरी सीमा की लम्बाई	: 4500 र.मी.
4. प्रस्तावित फेंसिंग	: 4500 र.मी.
6- उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण	
कट बैंक का क्षेत्रफल	: 00.0 हे०
वृक्षारोपण का क्षेत्र	: 27 हे०
भू-संरक्षण का क्षेत्र	: 25 प्रतिशत
लेन्टाना	: 15 हैक्टेयर
7- रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किये जावेंगे	:
8- रोपणी से रोपण स्थल की दूरी	: 120 कि०मी०
ए. ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	: ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा
बी. सिरबोझ द्वारा	: सिरबोझ द्वारा
9- सिंचाई का विवरण	
ए. जल स्रोत	: नहीं
बी. वृक्षारोपण से दूरी	:
सी. सिंचाई प्रकार	: टैंकर एवं मजदूरों द्वारा
डी. बिजली उपलब्धता	: है
10- प्रति हेक्टर पौधों की संख्या :-	
ए. प्रति हेक्टर सी०बी०ओ० से प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या	: -
बी. क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (20 से०मी० से अधिक)	: 00
सी. क्षेत्र में सीधी एवं स्थापित पौधे (20 से०मी० गोलाई से कम)	: 00
डी. रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या	: 27000
(न्यूनतम 1000 पौधे प्रति हेक्टर) कुल	: 27000
11- योजना की अवधि	: 2022-23 से 2033-2034 तक

- 12- (1) योजना पर होने वाला
संभावित व्यय : 19998988 /-
(विस्तृत प्राकलन एवं उपचार मानचित्र
पृथक से संलग्न है)
(2) प्रति हेक्टर व्यय : 740703 /-
13- अन्य विवरण :


उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल शाजापुर (सा.)


वन परिक्षेत्राधिकारी
शाजापुर (सा.)


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर



प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल खसरा नंबर 103, 313, 435 ग्राम बाण्डाहेड़ी तहसील मो.बड़ोदिय जिला शाजापुर के क्षेत्र 27 हैक्टेयर (कुल 28.00 हे. कार्य योग्य 27 हे.) का मेरे द्वारा दिनांक 15-7-21 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

Band
वन परिक्षेत्राधिकारी
शाजापुर (सा.)
Asim

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल खसरा नंबर 103, 313, 435 ग्राम बाण्डाहेड़ी तहसील मो.बड़ोदिय जिला शाजापुर के क्षेत्र 27 हैक्टेयर (कुल 28.00 हे. कार्य योग्य 27 हे.) का मेरे द्वारा दिनांक 25/02/21 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।


AS
उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मंडल शाजापुर (सा.)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल खसरा नंबर 103, 313, 435 ग्राम बाण्डाहेड़ी तहसील मो.बड़ोदिय जिला शाजापुर के क्षेत्र 27 हैक्टेयर (कुल 28.00 हे. कार्य योग्य 27 हे.) का मेरे द्वारा दिनांक 14.7.21 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।


प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक : 14.7.21


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 40 दिनांक 07/09/2021 द्वारा जारी की गई।


मुख्य वन संरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

सतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल - 28 हेक्टेयर)

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

ग्राम : तहसील बाण्डोदेड़ी
: जिला : मो.बडोदिया
शाजापुर

रकबा

27

हेक्टेयर

कुल रकबा
28 हे. एवं
कार्ययोग्य
27 हे.

(असिद्धि)

मा.दि. दर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

362

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रशि	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सर्व एवं सीमांकन हेतु	28	ha	0.45	प्रति हे०	13	4561	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	30	मुनारा	16	मुनारा	480	173760	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइम का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्ट.	27	ha	1.00		27	9774	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	27	ha	4.00	प्रति हे०	108	39096	जॉबदर
5	लेफ्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	15	ha	12.50	प्रति हेक्ट	188	67875	जॉबदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 28 हे. में 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज घेनालिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गडदों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा। विवरण संलग्न है।	4500		2	Rmt	9000	3258000	गणना के आधार पर
8	गडदा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	27000	गडदे	2.5	प्रति हजार	68	24435	जॉबदर
7	रोपण हेतु गडदा खोदाई संख्या 60x60x60 cm.	27000	गडदे	5	प्रति सैकड़	1350	488700	जॉबदर
8	गडदों में मिट्टी बदलने हेतु कच आमतन का 50 प्रतिशत	2916	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	4374	1583388	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कच आमतन का 25 प्रतिशत	1458	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	4374	1583388	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गडदों में डालना	27000	गडदे	1.5	100	405	146610	जॉबदर
11	2 हट निर्माण		L.S.			240	86880	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पैट, धूना आदि)					200	72400	अनुमानित
13	मू-जल संरक्षण कार्य							
	बॉल्डर चेक डेम निर्माण	1000	27 हे०		1 मा.दि.	1000	362000	अनुमानित
	अर्देन चेक डेम निर्माण	200	27 हे०		0.8 मा.दि.	120	43440	अनुमानित
	कट्टर ट्रेच चिन्हांकन	3000	27 हे०		0.15 मा.दि.	450	162900	अनुमानित
	कट्टर ट्रेच निर्माण 30.00X0.45 मीटर	3000	27 हे०		0.33 मा.दि.	990	358380	अनुमानित
कुल योग						23386	8465587	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आई.एस.पी. कालिसिंध फेस 11 सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) कुल क्षेत्रफल 28 हैक्टेयर कार्ययोग्य 27 हैक्टेयर गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण

क्षेत्रफल 27 ha. घेराव 28 ha.
क्षेत्र तैयारी प्रथम वर्ष 2022-23 फेंसिंग कार्य मा.दि. 362 रु.

क्र.	वन संरक्षक जॉब दरें	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा (हे. /कि.ग्रा./र. मी./घ.मी. में)		जाबदर मानव दिवस में		दर प्रति (हे./कि.ग्रा./र.मी./घ.मी. में/रुपय में)		राशि
4	एल.यु.एन.	प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र फेंसिंग कार्य	4500	r.m					0
	एल.यु.एन.	1- आर.सी.सी. पोल्स क्रय ऊंचाई 1.8 मीटर 2.5 मीटर स्पेस (1800+10 प्रतिशत स्पोर्टिंग पोल+10 प्रतिशत टूटपूट = 2160 पोल)	2160	No	0	0	285	रु. प.नग	615600
	एल.यु.एन.	2- बारबेड वायर क्रय 4500 X 2= 9000 mm/6 = 1500 kg (6 m. = 1k.g.)	1500	kg	0	0	85	रु प्र किग्रा	127500
	एल.यु.एन.	3- चैनलिक जाली क्रय (4500 मी. x 1.50 = 6750 वर्ग मीटर)	6750	sqm	0	0	150	रु प्र वर्गमी	1012500
	2014	4- फेंसिंग हेतु गड़डा एलाईजमेंट कार्य संख्या में	2160	No	2.5	मा दि प्र हजार	905	रु प्र हजार	1955
	2014 भाग -1/5	5- फेंसिंग हेतु गड़डा खुदाई कार्य संख्या में (0.30X0.30X0.45 m)	2160	No	3.8	मा दि प्र से	13.756	रु प्र से	29713
6		सीमेंट पोल फिक्साग कार्य							
	PWD SOR NO. 4.8.2.4 page 47	1.- सीमेंट पोल गाड़ना सीमेंट कांक्रीट 1:2:4 के अनुपात में गड़डा साईज 30X30X45 से मी. = 0.040 घ.मी. (-)पोल साईज 10X10X30 से मी. = 0.003 घ.मी. प्रति पोल सीमेंट कांक्रीट कार्य - .0.037 घ.मी. X 2160 पोल = 79.92 घ.मी.	79.92	घ.मी.	0		5072		408354
		7- फेंसिंग हेतु गड़डा में फिक्स किये पोल्स की तरी 21 दिनों तक कार्य संख्या में तथा सामग्री स्थल पर परिवहन	2160	No	2	मा दि प्र से	7.24	रु प्र से	15638
		सामग्री स्थल पर परिवहन					400	मा.दि.	144800
	बाजार दर	11- चैनलिक फेंसिंग एवं बारबेड वायर लगाने हेतु यूनेल्स एवं वाईडिंग वायर क्रय कि.ग्रा. में	50	kg			85	रु प्र किग्रा	4250
	2014	12- बारबेड वायर दो पक्ति में एवं चैनलिक जाली लगाना र.मी में	4500	r.m	0.16	मा दि	57.92	रु प्र रमी	260640
		अन्य बाजार दरों में वृद्धि आदि							640050
		महायोग							3258000

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र शाजापुर

उपवनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

योजना का द्वितीय वर्ष

(असिचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मान्य रिक्त	राशि	रिक्त
		मात्रा	इकाई	मान्य दिवस	इकाई			
	रोपणी कार्य							
1	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	27000	पौधे	0.03546	पौधा	957	346586	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	5400	पौधे	0.03546	पौधा	191	69317	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	32400	पौधे	1.5	सैकड़ा	486	175932	जीबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	32400	पौधे	0.4	सैकड़ा	129.6	46915	जीबदर
3	लेटाना मापिंग अप आपरेशन	15	हेक्टेयर	8	हेक्ट	120	43440	जीबदर
4	रोपण 60x60x60 cm.	27000	गड़डे	2	सैकड़ा	540	195480	जीबदर
5	प्रथम सिंचाई पौधों में	27000		1.25	सैकड़ा	337.5	122175	जीबदर
6	द्वितीय सिंचाई पौधों में	27000		1	सैकड़ा	270	97740	जीबदर
7	तृतीय सिंचाई पौधों में	27000		1	सैकड़ा	270	97740	जीबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	27000		0.6	प्रति सैकड़ा	162	58644	जीबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन 6 मीटर चौड़ी	5000	mtr	3.35	किमी	17	6064	जीबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जीबदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह		1x9			270	97740	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	27000	गड़डे		Lumsum	2500	905000	अनुमानित
12	अन्य व्यय (बीज क्रय एवं बुआई, कीटनाशक खाद आदि क्रय)					400	144800	अनुमानित
					योग-	6673	2415718	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

योजना का तृतीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	शक्ति	शिफारिश
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	2700	पौधे	0.03546	पौधा	96	34659	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	2700		1.5	सैकड़	40.5	14661	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	2700		0.4	सैकड़	10.8	3910	जॉबदर
3	भौतिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	4500				100	36200	अनुमानित
4	प्रथम निदाई							
	पौधों में	27000	गड्डे	1.25	सैकड़	337.5	122175	जॉबदर
5	द्वितीय निदाई							
	पौधों में	27000	गड्डे	1	सैकड़	270	97740	जॉबदर
6	तृतीय निदाई							
	पौधों में	27000	गड्डे	1	सैकड़	270	97740	जॉबदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	27000	गड्डे	0.6	सैकड़	162	58644	जॉबदर
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन							
	6 मीटर चौड़ी	5000	mtr	3.35	किमी	17	6064	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		माह			360	130320	अनुमानित
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	27000	गड्डे		Lumsum	2700	977400	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि)					200	72400	अनुमानित
						4586	1660057	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

योजना का चतुर्थ वर्ष

(असिंभित)

क्र	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (नादि)		कुल मानव दिवस	शक्ति	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	2700		0.03546	प्रति पौधा	96	34659	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	2700		1.5	सैकड़ा	40.5	14661	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	2700		0.4	सैकड़ा	10.8	3910	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	27000		1.25	सैकड़ा	337.5	122175	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	27000		1	सैकड़ा	270	97740	जॉबदर
5	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	27000		0.6	सैकड़ा	162	58644	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							जॉबदर
6	6 मीटर चौड़ी	5000	mtr	3.35	किमी	17	6064	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
7	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		माह			360	130320	अनुमानित
8	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	27000	गड्डे		Lumsum	2000	724000	अनुमानित
9	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	72400	अनुमानित
योग:-						3516	1272717	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

Asst.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

(असंश्लित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	4500				100	36200	अनुमानित
2	प्रथम निदाई पीछों में	27000		1.25	100	338	122175	जोबदर
3	द्वितीय निदाई पीछों में	27000		1	100	270	97740	जोबदर
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	27000		0.6	सेकंडा	162	58644	जोबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 8 मीटर चौड़ी	5000	mtr	3.35	किमी	17	6063.5	जोबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जोबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
7	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग-					1319	477388	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

योजना का षष्ठम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	5000	mtr	3.35	किमी	17	6064	जीबंदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जीबंदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग:-					449	162629	

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	5000	mtr	3.35	किमी	17	6064	जीबंदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जीबंदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग:-					449	162629	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

योजना का अष्टम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	सिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	5000	mtr	3.35	किमी	17	6064	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग-					449	162629	

योजना का नवम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	सिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	5000	mtr	3.35	किमी	17	6064	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग-					449	162629	

योजना का दशम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	सिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	5000	mtr	3.35	किमी	17	6064	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग-					449	162629	

योजना का ग्यारवा वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	सिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	5000	mtr	3.35	किमी	17	6064	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8145	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	130320	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	18100	अनुमानित
	योग-					449	162629	

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

गोश्वारा, आदर्श रोपण

वर्ष	प्रस्तावित राशि	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	राशि
प्रथम	8465587	1	8465587
द्वितीय	2415718	1.06	2560661
तृतीय	1660057	1.1236	1865240
चतुर्थ	1272717	1.191	1515806
पंचम	477388	1.2625	602702
षष्ठम	162629	1.3382	217630
सप्तम	162629	1.4185	230689
अष्टम	162629	1.504	244594
नवम	162629	1.594	259231
दशम	162629	1.69	274843
ग्यारवा	162629	1.79	291106
कुल योग			16528089

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आई.एस.पी. कालिसिंध फेस ।। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) कुल क्षेत्रफल 28 हैक्टेयर कार्ययोग्य 27 हैक्टेयर गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण

व्यय प्राक्कलन गोशवारा अनुसार

क्र	कर्म का नाम	प्रावधानित राशि
1	वानिकी कार्यों की प्रस्तावित राशि	16528089
2	आस्थामलंक कार्य 5 प्रतिशत	826404
3	मानव संसाधन विकास 1 प्रतिशत	165281
4	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण 4 प्रतिशत	661124
	योग	18180898
5	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत	1818090
	महायोग	19998988

740703

उपवनमंडलाधिकारी
शाजापुर (सा.)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
शाजापुर (सा.)

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल शाजापुर (सा.)